कृषि कानूनों में
काला क्या है ?

जोगिन्द्रसिंह तूर
एडवोकेट, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

इस पुस्तिका की 5000 प्रतियाँजनहित में मुफ्त बाटी गई हैं |

Kheti Kanunan Main Kala Ki Hai?

by

Joginder Singh Toor
Advocate
Punjab and Haryana High Court Chandigarh
jogindersingh_toor@yahoo.com

2021
Published by Lokgeet Parkashan
printed & bound by Unistar Books Pvt. Ltd.
301, Industrial Area, Phase-9,
S.A.S. Nagar, Mohali-Chandigarh (India)
email : unistarbooks@gmail.com
website : www.unistarbooks.com
Ph. +91-172-5027427, 5027429, 4027552

All rights reserved by Author 2021

विषयसूची

	संक्षिप्त जानकारी	5
	इन तीन कृषि कानूनों में काला क्या है?	7
1.	आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन	8
2.	किसान एम.एस.पी. क्यों मांग रहे हैं ?	12
3.	एम.एस.पी. के संबंध में क्या प्रावधान है	15
4.	नए कृषि कानूनों में एम.एस.पी. का कोई प्रावधान नहीं है	16
5.	मंडीकरण की पृष्ठभूमि	17
6.	वाणिज्य व्यापार केसंबंधमें कानून	19
7.	क्याकीमत सेसंबंधितमुकद्दमे बाजी अतिरिक्त बोझ है ?	22
8.	एंट्री 33 कैसे अस्तित्व में आई	23
9.	कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधित कानून	26
10.	किसान कानून में संशोधन क्यों नहीं मान रहे	30
11.	खेत और खेती दोनों खतरे में	31
12.	आई.एम.एफ. का बनना	35
13.	वर्ल्ड बैंक का बनना	37
14.	विश्व के अर्थ चारे पर बैंकों का नियंत्रण	38
15.	पेट्रो डॉलर	40
16.	आई.टी.ओ. का न बन सकना, गैटका अस्तित्व में आना	43
17.	गैट फेल क्यों हुई	45
18.	W.T.O. का बनना	46
19.	कौन नियंत्रित कर रहा है अर्थ चारे को ?	58

20.	एम.एस.पी. का विवरण 2009-2013	55
21.	जीरी की लागत कीमत 1757 2013-2014	56
22.	बाजरे की लागत कीमत 1315 एम.एस.पी. 1250	57
23.	मक्की की लागत कीमत 1654 एम.एस.पी. 1310	58
24.	कपास की लागत कीमत 3783 एम.एस.पी. 3600	59
25.	गेहूँ की लागत कीमत 1613 एम.एस.पी. 1350	60
26.	जौ की लागत कीमत 1462 एम.एस.पी. 980	61
27.	चने की लागत कीमत 3924 एम.एस.पी. 3000	62
28.	तेल बीज की लागत कीमत 4192 एम.एस.पी. 2800	63
29.	केंद्र सरकार की ओर से एम.एस.पी. का विश्वास पत्र	64
30.	सरकारकी ओर से बनाए गए तीन कानूनों की कॉपी अंग्रेजी में,वाणिज्य और व्यापार संबंधित कानून	67
31.	आवश्यकवस्तुओं संबंधित कानून (संशोधित कानून)	69
32.	कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधित कानून	77

संक्षिप्त जानकारी

5 जून, 2020 बुरा दिन था जिस दिन सरकार तीन अध्यादेश(आर्डिनेंस) ले कर आई जो किसानों के माथे पर गोली की तरह लगे| किसानों ने इनका विरोध किया शांतिपूर्वक तरीके से, अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग ढंग से, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की | परंतु सरकार के कुछ छिपे हुए इरादे थे, जिनकी वजह से किसानों की आवाज़ को अनसुना करके, सितम्बर 2020 को तीनों अध्यादेशों को नाटकीय ढंग से, संसद के सारे नियमों को तोड़ कर कानून बना दिए गए, जिनका देशव्यापी विरोध हो रहा है |

बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने किसानों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया | ग्यारह बार हुए वार्तालाप में किसानों ने एक-एक करके अपने अंदेशे बताए और कानूनों की कमियों और असंवैधानिकता का पूर्ण विवरण दिया | फिर भी सरकार, आम लोगों को भ्रम में रखने के लिए कहे जा रही है कि किसान हमें बता नहीं रहे कि इन कानूनों में काला क्या है, जिसकी वजह से इन्हें काला कानून कहा जा रहा है |

इस सरकार के इस पृष्ठ को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास किया गया है कि ये कानून कैसे किसान को मारने वाले हैं, कैसे समूह खेती अर्थ चारे पर दुष्प्रभावित हैं, कैसे कानूनी बिंदु से असंवैधानिक हैं |

किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है क्योंकि अब इसका प्रभाव सारे मजदूर वर्ग पर पड़ने वाला है| सरकार की मंशा खेती अर्थ चारा, कॉर्पोरेट सैक्टर को सौंपने की है और जैसे ही, खेत व खेती पर कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्ज़ा हो जाएगा, अनाज और खाने वाली वस्तुएं महंगी होती चली जाएंगी | सरकार अपना नियंत्रण खो चुकी होगी और उपभोक्ता वर्ग मौत के किनारे पर पहुँच जाएगा | इसको अभी से संभालने की ज़रुरत है |

किसानों की ओर से आरंभ किए गए संघर्ष ने एक चेतना पैदा की है जिसमे सभी प्रभावित वर्ग गरीब, मज़दूर, मुलाजिमव हर वर्ग के मज़दूर लोग, धर्म और जाति की भिन्नता से ऊपर उठ कर, वर्ग चेतना की ओर बढ़े हैं, जो चेतना सरकार को भा नहीं रही और जिससे डर भी रही है, क्योंकि इस आंदोलन का जन आंदोलन बनना और सारे भारत में इसके प्रति सकारात्मक आवाज़ें, भारत में बुनियादी परिवर्तन ला सकने का संकेत है |

कहीं सरकार लोगों को भ्रम में न रख सके कियह कानून किसान विरोधी नहीं हैं और किसान बता भी रहे कि इनमें काला क्या है | इसका संक्षेप और सही शब्दों में, कानूनी बिंदु से इन कानूनों का जन विरोधी तथा असंवैधानिक होना साबित करने की कोशिश की गई है |

जोगिन्द्रसिंह तूर
एडवोकेट, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
530, सैक्टर 33-बी, चंडीगढ़
91-98151-33530
jogindersingh_toor@yahoo.com

इन तीन कृषि कानूनों में काला क्या है?

5 जून 2020,जब पंजाब, हरियाणा व दूसरे राज्यों में गेहूँ खरीदा जा चुका था और किसान सूरजमुखी, मक्का संभालने और धान बोने की तैयारी में व्यस्त थे तो सारा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा था, उस समय केंद्र सरकार को पता नहीं क्या मजबूरी थी कि अपना ध्यान कोरोना से हटा कर एक दिन में 5 जून, 2020 को ही तीन आर्डिनेंस जारी कर दिए और बाद में तीनों कानून बना दिए जिनका किसानी पर भारी पड़ने के अनुमान, नतीजे, असहयोग, नुकसान पर गंभीर चर्चा चल रही है| इसी संदर्भ में इन तीनों कानूनों का संवैधानिक तथा कानूनी नजरिए से अध्ययन जरुरी हो जाता है ताकि नतीजा निकालने में कोई ग़लतफ़हमी ना रह जाए।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 के संशोधन का प्रभाव

जब 1939 मेंदूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सरकार को मैदाने-जंग के इलावा दो और पक्षों पर जंग लड़नी पड़ी | पहला था आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण तथा काला बाज़ारीको रोकना| इसस्थिति पर नियंत्रण करने के लिए Defence of India Act,1939 (डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट)पास किया गया | दूसरा था शहरों में मकानों और दुकानों के किराए बढ़ना| किराए के लिए रैंटएक्टपास किया गया | युद्ध ख़त्म होने पर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को 1946 में एक नए नाम आवश्यक वस्तु (अस्थाई शक्तियां) एक्ट 1946के साथ पास किया गया| वह भी 1948 तक ही था, परइसकी मियाद1955 तक बढ़ाई गई| 1955में अब की चर्चा का आवश्यकवस्तु वाला कानून Essentia| Commodities Act, 1955 जवाहरलाल नेहरु की कैबिनेट में खाद्य मंत्री रफी अहमद किदवई ने नए बनाए जाने वाले आवश्यक वस्तुओंके कानून पर काम शुरु किया| परन्तु 1954 में उनकी एक लेक्चर देते हुए मृत्यु हो गई| फिर यह एक्ट 1955में पास हुआ |

इस एक्टकी ज़रूरत और महत्ता यह थी कि आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में भारत में अनाज की समस्या शिखर पर थी | दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने पढ़ रहे थे| व्यापारी इस स्थिति का नाजायज़ फायदा उठा रहे थे| व्यापारियों की तरफ से आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और फिर काला बाज़ारी में हाथ रंगने, सरकार के वश से बाहर होते जा रहे थे| 1955 में बना आवश्यक वस्तुओं का कानून स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जरुरी कदम था | एक्ट के भूमिका में यह भी लिखा गया कि "यह एक्ट आम जनता के हितों की रखवाली और आवश्यक वस्तुओं की पैदावार, बंटाई और सप्लाई संबंधी व्यापार ववाणिज्य को नियंत्रण करने के लिए बनाया जा रहा है|"

इस एक्टकी धारा 3 में सरकार को अधिकार दिए गए कि आवश्यक वस्तुओं की पैदावार, सप्लाई और सामान वितरण को निश्चित करने के लिए, या देश के डिफेंस और मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत के मद्देनजर इन वस्तुओं को योजनाबद्ध तरीके के साथ पैदा करने, खरीदने और बेचने का मूल्य निर्धारित करना,वितरणप्रणाली बनाने और लागू करने के लिए सरकार निम्न लिखित कंट्रोल आर्डर जारी कर सकती है :-

1. लाइसेंस और परमिट जारी करना
2. बंजर और वीरानपड़ी जमीन को कृषि योग्य बनाना
3. आवश्यक वस्तुओं की खरीद फरोख्त की कीमतें निर्धारित करना
4. भंडारण, ट्रांसपोर्ट, प्राप्ति, वितरण और डिस्पोजल संबंधी आर्डर जारी करना
5. किसी जरूरी वस्तु, जिसकी बाजार में जरूरत है, को रोक कर रखनेपर पाबंदी लगाना
6. किसी व्यापारी, जिसने जरुरी वस्तु थोक में रखी हुई है और उसकी आम जनता को जरूरत है तो कंट्रोल आर्डर करके, उसको बेचने या वितरित करने के लिए ऑर्डर करना|

आवश्यक वस्तुओं की सूची में निन्नलिखित वस्तुएं शामिल हैं:-

खाद्यपदार्थ, पशु खुराक, कोयला जिसमें अंगीठी में जलने वाला कोयला शामिल है, सड़क परचलने वाली गाड़ियों के कलपुर्जे, कपास, ऊनी कपड़े, खाने वाले तेल और तेल बीज, लोहा व स्टील, कागज़, पेट्रोल वडीज़ल तथा पेट्रोलियम से बनी वस्तुएं या अन्य वस्तुए जो सरकार लोगों की जरूरतों के लिए आवश्यक समझे|

इन वस्तुओं के बारे सरकारकंट्रोल आर्डर कर सकती थी| 1955 से 2003 तक इस एक्ट में कई बार संशोधन हो चुके हैं और हर बार यही प्रयास किया गया कि इस एक्ट को और पायदार कैसे बनाया जाए, सरकार के कंट्रोल आर्डर की अवहेलना करने वाले को क्या सजा दी जाए, और उसका क्या तरीका हो |अवहेलना करने वाले के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार उपभोक्ता और उनकी संस्था को भी दिया गया |

पहली बार हुआ है कि मौजूदा सरकार ने इसको खत्म करने का फैसला किया है| इस काम के लिए आर्डिनेंसनं: 8 और बाद में कानून बना कर एक्टकी धाराओं को कमज़ोर करते हुए जो प्रावधान किया गया है, वह इस प्रकार है|" धारा 3 की सब धारा (1) में चाहे जो मर्जी लिखा गया हो, उसका इस कानून पर कोई प्रभाव नहीं होगा और नई जोड़ी जा रही धारा (1A) लागू समझी जाएगीजो निम्न लिखित है:-

(a) खाद्यपदार्थ, जिनमें अनाज, दालें, प्याज, आलू, खाद्य तेल, तिल बीज, जिन्हें सरकार एक नोटिफिकेशन करके चिन्हित करेगी, को केवल असाधारण स्थिति में, जैसे कि जंग, भयानक अकाल, कीमतों का असाधारण तरीके के साथ बढ़ना, भयानक किस्म के प्राकृतिक कहर, की स्थिति मेंही कंट्रोल आर्डर जारी किया जा सकेगा|

(b) कृषि उपज की स्टॉक सीमा के बारे में कोई भी ऑर्डर, कीमतें बढ़ने को आधार बना कर ही किया जा सकेगा :

(1) यदि फलों की कीमत में 100 फ़ीसदी तक बढ़ोतरी हो जाए,

(2) समय केसाथ, ना नष्ट हो सकने वाली (Non perishable) खाद्य वस्तुएं, खेती उपज के मूल्यमें 50 फ़ीसदी बढ़ोतरी हो जाए| यह कीमतें तय करने का आधार पिछले 12 महीने की कीमत या पिछले 5 वर्ष की औसत कीमत को गिना जायेगा|"

" यह भी शर्त है यह स्टॉक करने की सीमा, फ़ूड प्रोसेस करने वाले या फ़ूड प्रोसेस करने की श्रृंखला में, उपज से ले कर, डिब्बा बंद हो कर उपभोक्ता तक पहुँचने में जितने लोग शामिल होंगे वह फ़ूड प्रोसेसिंग श्रृंखला में शामिल गिने जायेंगे और किसी पर भी यह कंट्रोल आर्डर लागू नहीं होगा |"

इस कानून के विश्लेषण से साबित हो जाता है कि यह आर्डिनेंस किसानों का भला करने वाला बता कर बाद में कानून बना दिया गया |वास्तव में आने वाली खुली मंडी में व्यापारियों और जमाखोरों को खुली छूट दे दी गई है| व्यापारियों या जमाखोरों पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती, न ही उनके खिलाफ कोई कंट्रोल आर्डर जारी हो सकता है | धारा 3 की सब धारा (1) में वही कंट्रोल आर्डर जारी हो सकते हैं, जिनका वर्णन ऊपर किया गया है, वह अब इस कानून की वजह से एक तरफ/ किनारे रख दिए गए हैं |

व्यापारियों का ध्यान फ़ूड प्रोसेसिंग की तरफ है जो सब से अधिक मुनाफ़े का व्यापार है |किसान से 10 रुपये किलो मक्की लेकर 250 रुपये किलो मक्की से बना कस्टर्ड बेचते हैं, आलू 5 से 10 रुपये किलो खरीदते हैं और चिप्स 200 रुपये किलो बचते हैं | हरे मटर 10 से 15 रुपये और फ्रोज़न मटर 100 रुपये किलो,

कॉफ़ी के बीज 200 रुपये ले कर 2000 रुपये किलो नेस्कैफे कॉफ़ी बिकती है | इसी प्रकार और कई वस्तुएं हैं| इस कानून में व्यापारियों को खुली छूट दे दी गई है |खरीदने व बेचने के लिए मूल्य तय करना सरकार के नियंत्रण से बाहर कर दिया गया है|

1955 के आवश्यक वस्तु एक्टकी ज़रुरत व पृष्ठभूमि को देखते हुए किसान तो यह आस लगाये बैठे थे कि जिस प्रयास के साथ पंजाब व हरियाणा के किसानों ने देश को अन्न संकट से न केवल बाहर ही निकाला, बल्कि हरित क्रांति ला कर अनाज सरप्लस (अतिरिक्त) कर दिया, सरकार उनकी पीठ थप-थपायेगी | इस के विपरीत नए कानून बना दिए जिनका बुरा प्रभाव केवल किसान पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि सारे उपभोक्ता वर्ग पर पड़ेगा | ऐसा अनुमान है कि खाने वाली वस्तुएं राशन कार्ड पर देने की बजाय उनके खाते में कुछ रुपये डाल कर, राशन कार्ड पर दी जाने वाली वस्तुएं बंद कर के इस प्रणाली को भ्रष्ट हो चुका कह कर बंद कर दिया जाएगा और सब को ये ज़रूरी वस्तुएं बाज़ार से खरीदनी पड़ेंगी | जिसका नियंत्रण कॉर्पोरेट सैक्टर के पास होगा और वह अपनी मनमानी कीमत पर खाद्य पदार्थ बेचेंगे |

व्यापारी पर स्टॉक भंडारण करने पर कोई रूकावट नहीं होगी | उपभोक्ता का शोषण होने को रोकने के लिए सरकार अपने हक़ इस संशोधन के कारण ख़त्म कर चुकी है | जिससे समूह उपभोक्ता वर्ग कॉर्पोरेट का शिकार हो जाएगा |

किसानएम.एस.पी. क्यों मांग रहे हैं ?

एम.एस.पी. का मतलब कम से कम न्यूनतम मूल्य है| जिसका अर्थ है कि यह मूल्य तो किसान को मिलना ही चाहिए | क्योंकि यह मूल्य उसकी लागत से भी कम है, एम.एस.पी.तय करने के लिए सरकारी संस्थाएं इसका निर्णयतीन प्रकार से करती हैं |

A2 पहले नंबर पर वह लागत जो किसान ने खेत जोतने, बीजने, बीज, तेल और मशीनों के किराये के लिए अपने पास से खर्च की है |

A2 + FL यानिA2 + फैमिली लेबर: इसमें नकद खर्च के इलावा परिवार द्वारा की गई मेहनत जोड़ी जाती है |

C2 यानिकॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट (व्यापक लागत), भाव नकद किया खर्च जमा पारिवारिक मेहनत जमा ज़मीन का ठेका, किराया या ज़मीन की कीमत पर बनता ब्याज आदि जो सरकार देने को तैयार नहीं है |

केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा A2 को गिनते हुए एम.एस.पी. का ऐलान करती है, किसानों की ओर से विरोध के मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा A2+ फैमिली लेबर गिनती है | C2 देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है |

स्वामीनाथन रिपोर्ट में C2 + 50% देनेकी सिफारिश है जो केंद्र सरकार तैयार नहीं है | स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का 2014 के चुनाव से पहले श्री नरेंदर मोदी ने जीतने की अवस्था में, कुर्सी पर बैठते ही पहला काम करने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया |बल्कि किसानों द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में यह हल्फिया बयान दिया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना सरकार के लिए संभव ही नहीं है |

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित CWP No. 18969/2014 में पेश किए गए दस्तावेज़, जो साथ स्लंगन किये जा रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि फसल की लागत कितनी है और एम.एस.पी. उस से तीन से चार सौ रुपये प्रति क्विंटल कम है |

सरकार ने 1964 में एक कमीशन बनाया जिसे एग्रीकल्चर प्राइसिज़ कमीशन कहा गया और जिसकी

ड्यूटी लगाई गई कि किसान की हर फसल का विक्रय मूल्य तय किया जाए | इस कमीशन ने अपनी तरफ से कुछ काम किया परन्तु इस में एक कमी थी कि मूल्य तय करते समय किसान की लागत का ध्यान रखा जाना दर्ज नहीं था | इस उद्देश्य के लिए एक नया कमीशन एग्रीकल्चर लागत और कीमत कमीशन 1985 में बनाया गया |

इस कमीशन को भी कीमत तय करने के लिए जो हिदायतें दी गईं उनमें कहा गया कि एम.एस.पी. निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को आधार बनाया जाए |1. पैदावार की लागत 2. पैदावार के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं के मूल्य में बदलाव 3. लागत और पैदावार की कीमतों का संतुलन 4.बाज़ार के झुकाव 5. डिमांड व सप्लाई 6. फसलों का आपसी संतुलन 7.तय की जाने वाली कीमत का उद्योग पर असर 8. कीमत का लोगों पर बोझ 9.आम कीमतों पर असर 10. अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की स्थिति 11. किसान द्वारा दी गई तथा वसूल की गई कीमत का संतुलन 12. बाज़ारी कीमतों पर सब्सिडी का असर |

इन्हें गौर से पढ़ने सेसिद्ध होता है कि ऊपर दिए गए नंबर 4,5, 7, 9, 10 व 12 का किसान के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं | यह कम कीमत तय करने के लिए कमीशन को हथियार दिया गया था | इसका नतीजा यह निकला कि किसान का लागत मूल्य एम.एस.पी. से ज़्यादा है |

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित,किसानों द्वारा दायर की गई रिट पटीशन में दस्तावेज पेश किए गए जिनके अनुसार हरियाणा सरकार की ओर से बताई गई लागतएम.एस.पी. से ज़्यादा है| दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2013-2014 में गेहूँ का लागत मूल्य 1613 रुपये प्रति क्विंटल था और एम.एस.पी. 1350 रुपये, धान का लागत मूल्य 1751 रुपये और एम.एस.पी. 1310 रुपये, मक्की की लागत 1654 रुपये और एम.एस.पी. 1310 रुपये, बाजरा की लागत 1315 रुपये और एम.एस.पी. 1250 रुपये| इस प्रकार हरेक फसल की एम.एस.पी. लागत से तीन चार सौ रुपये प्रति क्विंटल अब भी कम है | इस बारे दस्तावेज पेज **नंबर 46** से शुरू होते पन्नों का विवरण:-

वर्ष	फसल का नाम	लागत मूल्य	एम.एस.पी.
2013	धान	1757	1310
2013	बाजरा	1315	1250
2013	मक्की	1654	1310
2013	कपास	3783	3700
2013	गेहूँ	1613	1350
2013	जौ	1462	980
2013	चने	3924	3000

इससे प्रमाणित हो जाता है कि जो एम.एस.पी. तय होती है वह लागत मूल्य से तीन चार सौ रुपये प्रति क्विंटल कम होती है | यदि हिसाब-किताब किया जाए तो किसान हर वर्ष सैंकड़ों करोड़ों का नुकसान सह रहा है, जो उनकी खुदकुशियों का कारण बन रहा है |

किसान यह मांग कर रहे हैं कि यदि आप स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे और एम.एस.पी. को लागत के बराबर भी तय नहीं कर रहे तो जोएम.एस.पी. 23 फसलों की तय की गई है, कम से कम वो तो दो | वो भी देने से सरकार आनाकानी ही नहीं कर रही बल्कि सभी रास्ते बंद कर रही है |

भारत सरकार ने तो 1955 के एक्ट में संशोधन करके, ऐसा कोई भी आर्डर अथवा कंट्रोल आर्डर करने का अपना अधिकार ही ख़त्म कर लिया है बल्कि मंडियां भी ख़त्म कर दी हैं | इस गंभीर स्थिति में किसान ने कैसे बचना है ये किसान को ही संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा |

एम.एस.पी. के संबंध में क्या प्रावधान है

एक और पक्ष कम से कम न्यूनतममूल्यएम.एस.पी.का है| इसके बारे में लिखा गया है कि सरकार एक सूचना का संस्थान बनाएगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी को पता लगता रहेगा कि कौन सी मंडी में जिनस/माल का क्या भाव चल रहा है | इससे सिद्ध हो जाता है कि व्यापारी पर एम.एस.पी.के आधार पर खरीदने की कोई पाबंदी नहीं है| सारे कानून में कहीं एम.एस.पी.का जिक्र तक ही नहीं है|

खरीददार व्यापारी की परिभाषा में, (1) व्यक्ति (2) पार्टनरशिप फर्म (3) कंपनी (4) लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म (5) कोऑपरेटिव सोसाइटी या अन्य सोसाइटी, शामिल है |यह सभी ऑनलाइन बतौर इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी के तौर पर खरीद कर सकते हैं |इ नके बारे में जानकारी, इनकी पहचान, इनके दफ्तर का कारोबार का विवरण किसान के पास नहीं होगा, ना ही दिया जाना है| जाली कंपनियां, फर्म और सोसायटियां आम देखने में आ रही हैं | इनमें से सबसे खतरनाक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है | इसमें कम से कम दो पार्टनर विदेशी और एक भारतीय होता है | इस तरह का ही कानून दुबई में बनाया गया था | वहां बनी एल.एल.पी. नेकोई धोखा किया |विदेशी व्यापारियों को तो पकड़ा नहीं जा सकता| दुबई निवासी हिस्सेदार की खोज की गई तो वह एक बस ड्राइवर निकला जो बहुत समय पहले ही नौकरी छोड़ कर जा चुका था और उसका कोई अता-पता नहीं था |

मान लीजिए यहां भी नई बनी एल.एल.पी.या बाहरी कंपनी खरीद कर के, किसानो के साथ धोखा करती है तो सरकार किसको पकड़ेगी और कैसे वसूली करेगी, अगर भारतीय पार्टनर निराशाजनक व्यक्ति हो | इसी तरह जाली कंपनियां और फर्म कर सकती हैं | इनके खिलाफ एस.डी.एम क्या कर सकेगा ?

नए कृषि कानूनों में एम.एस.पी. का कोई प्रावधान नहीं है

10 जुलाई 2013 को भारत सरकार की ओर से एक ऐलान जारी किया गया कि सरकार ने फसलों का कम से कम समर्थन मूल्य तय किया है और सरकारी खरीद जारी रखने व किसानों को समर्थन मूल्य देते रहने के संबंध में निम्नलिखित एजेंसियां काम करेंगी और समर्थन मूल्य पर खरीददारी जारी रखेंगी | यदि इन एजेंसियों द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य देने में कोई नुकसान होता है तो भारत सरकार इस पूरे नुकसान को सहन करेगी|

एफ.सी.आई. हर प्रकार के अनाज की खरीददारी करेगी |

नाफेड. सी.डब्ल्यू .सी., एन.सी.सी.एफ. तथाएस.एफ.ए.सी. दालों और तेल वाले बीजों को खरीदेंगी |

नाफेड कपास भी खरीदेगी |

इस घोषणा पत्र का नंबर F.No.6-3/2012-FEB-ES (Vol.11) है| यह **पेज 64** पर है | नए खेती कानूनों में इस प्रोग्राम का कोई ज़िक्र ही नहीं है | बल्कि सरकार और एफ.सी.आई. (FCI) खरीददार की परिभाषा से बाहर निकल चुके हैं| इन एजेंसियों को बंद किया जा रहा है| एफ.सी.आई. को बंद करने की सिफारिश शांता कुमार समिति पहले ही कर चुकी है | इन कानूनों में समर्थन मूल्य का कोई प्रावधान नहीं है | यह इनकी सबसे बड़ी नाकामी है |

मंडीकरणकी पृष्ठभूमि

5 जून 2020 से ही दूसरा कानून, आवश्यक वस्तुओं को, आवश्यक वस्तु 1955 के कानूनी दायरे से बाहर निकाल कर, व्यापारियों और जमाखोरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके, उन्हें एक नया मंडीकरण सिस्टम प्रदान किया है |इसके उद्देश्यों में लिखा तो यह गया है कि यह किसानों तथा व्यापारियों को अपना चुनाव करके खाद्य पदार्थ बेचने और खरीदने का सिस्टम तैयार किया गया है पर असल में, जैसे कि धारा नं: 1 में ही लिखा गया है कि यह किसान की उपज और व्यापार को सहूलियत और बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है | जिसमें बड़े व्यापारियों को खुल कर खेलने का मौका मिल गया है |

थोड़ा याद करें कि किसान को कर्ज मुक्त करने और कृषि को उपयोगी बनाने के लिए यह मौजूदा सिस्टम अस्तित्व में कैसे आया| जिस समय मंडीकरण काकोई सिस्टम नहीं था, व्यापारी कपड़े के नीचे छुपाकर उंगलियों के साथ किसान की उपज का मूल्य तय करते थे और वह मूल्यकिसान को बता दिया जाता था | मजबूर किसान उसी मोल पर फसल बेच देता था। उपज की कीमत से पिछला ब्याज, जिसकी कोई सीमा तय नहीं थी, मुश्किल से पूरा करता था| अंग्रेज सरकार ने दो कानून पास किए |एक 1918 में Usurius Loans Act में संशोधन किया जिससे रहन के आधार पर लिए गए कर्ज की ब्याज दर साढ़े सात फीसदीया बैंक ब्याज से दो फीसदी अधिक और साधारण कर्ज पर अधिक से अधिक 12 फीसदी ब्याज दर की सीमा तय की गई|

1930 में रैंडीशन ऑफ अकाउंटस कानून पास करके, कर्ज देने वाले साहूकार के लिए जरूरी कर दिया कि वह साल में दो बार 15 जून व 15 दिसंबर को हिसाब-किताब की प्रति कर्ज़दार को आवश्यक दे | इस ई भी साहूकार पालना नहीं कर रहाकानून की को| 1934 में सर छोटू राम के प्रयत्नों से पंजाब रिलीफ ऑफ इंडेटडनैस कानून पास करके कर्ज मुक्ति का प्रयास किया गया| 1939में मंडीकरण के संबंध में कानून बनाया गया जिसके तहत पहली बार पंजाब में अनाज मंडियों की स्थापना हुई | पाकिस्तान में अब भी इस 1939 वाले कानून को जरूरी संशोधन करके मंडिया काम कर रही हैं | 1939 के बाद, साहूकारों से छुटकारा पाने के लिए ग्रामीण सहकारी की टियोंसोसाइ तरफ ध्यान दिया गया ताकि जरूरत पड़ने पर किसान अपनी सहकारी सोसाइटी से कर्जा ले सके। इन सब कदमों को उठाने का आधार गम्भीर सर्वेक्षण और कमेटियों की रिपोर्ट बनीं। 1951 में मार्केट कमेटी,1954 में थापर कमेटी बनाई गई | 1951 में इंडियन नेशनल कांग्रेसकी प्लानिंग कमेटी

ने ग्रामीण मंडीकरण एवं आर्थिकता के लिए एक उप कमेटी बनाई।

ऊपर बताई गई कमेटियों की रिपोर्ट एवं अध्ययन के निरीक्षण से यह विचार किया गया कि यदि किसान की मंडीकरण में मदद की जाए तब किसान की हालत में सुधार हो सकता है| किसानों को आधुनिक मंडी प्रणाली प्रदान करने के लिए प्रान्तों में खेती उपज मार्किट कानून पारित किए गए| जिसके तहत उचित स्थानों पर मंडियों की स्थापना करने, उनकी देखभाल करने के लिए एक मंडीकरण बोर्ड की स्थापना की गई| मंडियों के लिए जमीन का अधिग्रहण करके शेड का निर्माण करना, आढ़तियों के बैठने की जगह, किसानों के लिए किसान घर, एक पूरी व्यवस्था अस्तित्व में आई। उपज के खरीदार से टैक्स, सैस एवं अन्य खर्चे लिए जाते हैं| जिसके साथ राज्य के विकास कार्य जैसे सड़कों आदि का निर्माण किया जाता है । यह किसान की देनदारी नहीं बल्कि खरीददार की होती है। इसीप्रकार भारत के दूसरे प्रांतों में मंडीकरण के लिए राज्य सरकारों की ओर से कानून बनाए गए जिनको ए.पी.एम.सी. कहा जाता है |

इन कानूनों के तहत किसान को इस खर्चे से भार मुक्त होना बताया गया है जो कि सही नहीं है| यह पहले ही किसान कीनहीं बल्कि खरीददार की देनदारी है। किसान मंडी के खर्चों से भारमुक्त है |

वाणिज्य व्यापारसंबंधित कानून

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020

क्या केंद्र सरकार को यह कानून बनाने का अधिकार है ?
क्या मौजूदा मंडियां खत्म कर दी गई हैं?

इस नए बनाए जा रहे मंडीकरण सिस्टम में मौजूदा मंडीकरण के समूह संस्थान को एक तरफ रख दिया गया है| इस एक्ट की धारा 2 (अ) मेंजो खरीद केंद्र की परिभाषा दी गई है उसमें व्यपारी को छूट दी गई है कि वह दूर किसी अन्य राज्य अथवा देश में बैठा, अपने नियुक्त किए नुमाइंदे के द्वारा, किसी ऐसी जगह, जैसे फार्मगेट यानिखेत में से या फैक्ट्री एरिया, वेयरहाउस, लोहे के बड़े ढोल, कोल्ड स्टोरेज, आदि स्थानों से सीधे किसान से फसल खरीद सकता है और दूसरे राज्यों में ले जा सकता है या किसी अन्य देश में निर्यातकर सकता है | उस पर कोई पाबंदी नहीं कि वह एम.एस.पी.पर फसल खरीदे | खरीद करने के लिए ऊपर बताई गई जगहों में मौजदा मंडी शामिल नहीं| ना इसमें मार्केट कमेटी का बनाया हुआ कोई यार्ड,खरीद केंद्र, या प्राइवेट मंडी यामार्किट कमेटी की तरफ से बनाया गया कोई खरीद केंद्र शामिल है |वाणिज्य और व्यापार संबंधी एक्ट की धारा 2 (अ) मेंसाफ लिखा हुआ है कि ट्रेड एरिया में मौजूद मंडियांअथवा उपयार्ड शामिल नहीं होंगे| यह मौजूदा मंडियों का डेथवारंट है |

इसका नतीजा यह निकलता है कि किसान से सीधी खरीदते समय कोई सरकारी एजेंसी तो मुकाबले में होगी नहीं जो कि एफ.सी.आई. के लिए एम.एस.पी. पर खरीद करेगी| यह पुराने उंगलियां छुपाकर मूल्य तय करने वाली स्थिति में पहुंचने वाली बात है |

क्या सरकार खरीद करने से बाहर निकल चुकी है ?

1. मान लो किसान मंडी में लाकर फसल ढेरी कर देता है| वहां व्यपारी तो खरीद नहीं करेगा| मौजूदा मंडी को क्योंकि अब खरीद केंद्र की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है|सरकार खेती उपज के मंडीकरण से बाहर निकल चुकी है और किसानों को बड़े धनाड्य व्यापारियों के रहमों करम पर छोड़ रही है | उन

व्यापारियों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा क्योंकि आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन करके सरकार पहले ही अपने हाथ काट चुकी है और किसी प्रकार का कंट्रोल आर्डर ना कर सकनेका कानून पास कर चुकी है| यह आवश्यक वस्तु कानून 1955 में संशोधन करके पास किया गया है |

2. खरीद केंद्र जिसको ट्रेडएरिया कहा गया है जिसमें मौजूदा मंडी शामिल नहीं, उसमें से खरीदने के लिए ट्रेडर यानिवह व्यक्ति जिसकी परिभाषा एक्ट की धारा 2 (म) में दीगई है, इस में वह व्यक्ति शामिल हैं जो अपने लिए या किसी और के लिए खरीदते हैं उन में निम्न लिखित शामिल होंगे | इस उद्देश्य के लिए एक्ट की धारा 2 (एच)मेंजो व्यक्ति बतौर खरीददार दर्ज है वह निम्नलिखित हैं:

1. कोई व्यक्ति खुद 2. पार्टनरशिप फर्म3. कंपनी 4.लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म 5.कोऑपरेटिव सोसाइटी 6.सोसाइटी 7. कोई और संस्था जिसको केंद्रया राज्य सरकार की मंजूरी मिली हो |

पंजाब कृषि उत्पादन मार्केट एक्ट की धारा 2 (25) में खरीददार व्यक्ति का अर्थ है: 1.कोई व्यक्ति खुद 2. फर्म चाहे वह रजिस्टर्ड हैं या नहीं 3.हिंदू अविभाजित परिवार 4. कंपनी 5. कोऑपरेटिव सोसाइटी, सरकारी एजेंसी या पी.एस.यू.अर्थात सरकारी संस्था या कारपोरेशन|

नए एक्ट में खरीददार की परिभाषा में से सरकारी एजेंसी, कारपोरेशन अर्थात एफ.सी.आई. (फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) और सरकारी संस्था (पी.एस.यू.) निकाल दिए गए हैं |अब यह खरीददार नहीं रहे | इसका स्पष्ट अर्थ है कि सरकार और फ़ूडकॉर्पोरेशन खरीदने से निकलना ही नहीं चाहते बल्कि निकल चुके हैं |

लगता है कि देश एक भयानक मोड़ पर खड़ा है और किसान गहरी खाई के किनारे पर खड़ा है |जहां से उसको कभी भी धकेला जा सकता है और वह कभी भी उस खाई से बाहर नहीं निकल पाएगा|

वाणिज्य और व्यपार संबंधी एक्ट में सरकार ने एक्टकी धारा 2 के अनुसार "इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांसेक्शन प्लेटफार्म" बिजली उपकरणों द्वारा व्यापारपर लेखनका प्लेटफार्म तैयार किया है जिसके द्वारा ऑनलाइन खरीद फरोख्त हो सकेगी | जिसके अनुसार दो तरह से व्यापार का घेरा होगा |एक "Inter State Trade" जिसके अनुसार एक राज्य में बैठे दूसरे राज्य से माल खरीदना और बेचना, राज्यों की हद बंदी ख़त्म कर दी गई है|

दूसरा भाग “Intra State Trade”अर्थातराज्य की सीमाओंके अंदर का वाणिज्य और व्यापार| जिसके अनुसार व्यापारीने खाद्यपदार्थ उसी राज्य में जहां उनकी पैदावार हुई, खरीदें और बेचेंगे |

पहले सिस्टम में “ट्रेडएरिया” उस राज्य के मंडीकरण कानून के तहत बनाई गई मंडियां,यार्ड और खरीद केंद्र नहीं माने गए हैं| अब ट्रेड एरिया की परिभाषा बदल दी गई है | अब ट्रेड एरिया उपज वाली जगह, फसल इकट्ठा करने वाली जगह, जिसमें फार्मगेट, फैक्ट्री एरिया, वेयरहाउस, बड़े ढोल, कोल्ड स्टोर या अन्य स्थानजिनका सरकार निर्धारण करेगी शामिल होंगे| यह सभी स्थान दूसरे विकसित देशों के बड़े फार्मों में हैं, और लगता है यह सिस्टम किसी बाहरी विकसित देश की नकल करने की कोशिश की गई है |

यदि मौजूदा मंडी ट्रेड एरिया ही नहीं रहीतो सरकार भी मंडी में से बतौर खरीददार बाहर हो जाएगी, फिर खरीददार कौन रह जाएगा| सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी| वह भी खेत में जा कर | अगरबाहर का व्यापारी आधे गांव की पैदावार खरीदकर बाकी छोड़ देता है तो वह किसान फसल कहां लेकर जाएगा| मौजूदा मंडियांतो खरीद केंद्र रही ही नहीं |

क्या कीमत के भुक्तान संबंधित मुकद्दमेबाजी अतिरिक्त बोझ है ?

किसान के फार्म से फसल उठाने के बाद किसान को डिलीवरी रसीद दी जाएगी जिसमें लिखा होगा कि इसकी कीमत तीन दिनों के अंदर आपको मिल जाएगी| वह तीन दिन आगे की तारीख डालकर एक चैक देगा | अगर किसान को पेमेंट ना मिले तो वह एस.डी.एम.के पास शिकायत कर सकेगा, जो किसान की शिकायत का एक महीने के अंदर फैसला करेगा| एस.डी.एम.पहले ही अपने लंबित के सों के फैसले नहीं कर पा रहे | यदि एस.डी.एम. फैसला नहीं करता या किसान के खिलाफ कर देता है तो किसान कलेक्टर के पास अपील कर सकता है | इस तरह एक नई मुकदमे बाजी किसान के गले में डाल दी गई है | जब तक एस.डी.एम. फैसला करेगा तब तक किसान की फसल तो पता नहीं कहां पहुंच चुकी होगी| एस.डी.एम.का फैसला सिविल कोर्ट की डिग्री के बराबर समझा जाएगा| जिसकी इजरायकरवानी पड़ेगी | व्यापारी की उस समय कौन सी जायदाद दूसरे तीसरे प्रान्तमें कैसेकुर्क करवाई जा सकेगी |**होना तो यह चाहिए था, कि फसल की उठाई तब तक ना हो जब तक कीमत उसके हाथ में ना आ जाए**| सभी वस्तुओं की डिलीवरी पहले भुगतानकर के ही होती है | व्यापारी को बिना कीमत के भुगतान फसल उठा लेना मार्केट के उसूल के खिलाफ है और किसान को अनचाही मुकदमेबाजी में उलझा देगा| सीमित साधनों वाला किसान, बड़े व्यपारी के खिलाफ मुकदमा कैसे लड़ सकेगा और क्यों लड़े | किसानों को व्यर्थ ही मुकदमेबाजी में उलझायाजा रहा है| सिविल कोर्ट में जाना ही प्रभावी नहीं होगा क्योंकि हरेक किसान की तरफ से मुकदमा करना, कोर्ट फीस लगाना, गवाही भुगताना, सब जानते हैं कितना मुश्किल है और कितना समय लगता है |

सुझाव: 1. होना तो ये चाहिए था कि ऐसा कानून बनता जिसमें कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान का कानूनी अधिकार हो |

2. ये भी प्रावधान होना चाहिए कि किसान की जो भी फसल, अनाज या सब्ज़ी का न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर निश्चित किया गया है तो उससे कम में नहीं बिके|

एंट्री 33 कैसे अस्तित्व में आई

संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और राज्य सरकारें उस समय नए कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं थीं, इस लिए भारत की संसद को अधिकार दिए गए कि संविधान के लागू होने से 5 वर्ष के अंतराल में, अगर संसद को लगे कि अनुच्छेद 369 में दर्ज विषयों संबंधी कानून होना जरूरी है जो कि है तो राज्य सूची में शामिल, परंतु राज्य विधानसभा की ओर से कानून नहीं बनाया गया तो संसद वह कानून बना सकती है भलेवह राज्य सूची में ही दर्ज हो| वह विषय निम्नलिखित हैं:

1. राज्यके अंदर वाणिज्य और व्यापार 2. कपास, ऊनी कपड़े, कपास का बीज, खाद्य जिसमें खाने वाले तेल और तेल बीज, पशु , तेल निकालने के बाद बनी खल, कोयला, लोहा, इस्पात और माइका |

इसके अलावा इन वस्तुओं संबंधी कानून बनाना, अदालतें कायम करनी सिवाय सुप्रीम कोर्ट के, अदालतों का अधिकार क्षेत्र निश्चित करना शामिल है|

1954 में केंद्र सरकार ने सोचा कि 1946 के एक्टकी मियाद खत्म होने से पहले, संविधान के अनुच्छेद 369 की शक्तियों का इस्तमाल करते हुए नया कानून बनाया जाए जो कि अनुच्छेद 369 में दिए 5 साल के बाद भीसब प्रांतों मेंलागू रहे| इसके लिए संविधान में संशोधन की जरुरत थी| इस उद्देश्य के लिए एक बिल तैयार किया गया जिस के अनुसार संविधान की तीसरी सूची में एंट्री नंबर 33 डाली गई, जिसके तहत केंद्र सरकार को भी,वाणिज्य और व्यापार के अधिकार मिल जाने थे| 1954 में संविधान की तीसरा संशोधन करके एंट्री नंबर 33 डाल दी गई| पर क्यों किसं विधान के संशोधन को लागू करने से पहले, संसद द्वारा पास किए गए बिल को सारे देश के कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी की जरूरत थी जिसको समय लग सकता था | इसलिए एक आर्डिनेंस जारी करके यह कानून लागू कर दिया गया और जब देश के आधे से ज़्यादा प्रांतों की विधान सभाओं ने संविधान के संशोधन का समर्थन कर दिया तो यह एंट्री नंबर 33 संविधान का हिस्सा बन गई और वाणिज्य तथा व्यापार संबंधी कानून बनाने का केंद्र सरकार को भी अधिकार मिल गया,यद्यपिसंविधान के सातवें शेड्यूल की लिस्ट नंबर दो कीएंट्री नंबर 14 में खेती, खेती संबंधित पढ़ाई व खोज,जीवाणुओं से सुरक्षा

और पौधों की बीमारीओं की रोकथाम दर्ज है| जो राज्यसरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है| इस विषय पर कानूनी लड़ाई अभी तक लड़ी नहीं गई|

(1) एंट्री नंबर 33 के दो हिस्से हैं| एक यह कि आवश्यक वस्तुओं की पैदावार, सप्लाई वबंटाई संबंधी कानून बनाना और कारगर तरीके के साथ लागू करना |

(2) दूसरा इन सभी वस्तुओं का वाणिज्य और व्यापार|

(3) एंट्री नंबर 33 में दर्ज, लफ्ज़ खाद्य, जिसमें खाने वाले तेल और तेल बीज, पशु खुराक, कपास आदि शामिल किए गए हैं |

सातवें शेड्यूल की लिस्ट नंबर दो में वह कानून दर्ज हैं जो राज्यसरकार ने बनाने हैं| इनमें से एंट्री नंबर 14 इस प्रकार है:

14 "खेती,खेती संबंधित पढ़ाई व खोज,जीवाणुओं से सुरक्षा और पौधों की बीमारीओं की रोकथाम शामिल है|"

18 ज़मीन, अर्थात्ज़मीन पर अधिकार, ज़मीनी हद, जिसमें मालिक और मुजारे का रिश्ता, बंटाई या ठेके की प्राप्ति, खेती वाली ज़मीन की तब्दील मलकीयत, ज़मीन की क्षमता बढ़ाने और खेती के लिए कर्ज़ और मकान बनाना शामिल हैं|

केंद्र सरकार दलील देती है कि इनमें खेती संबंधित वाणिज्य, व्यापार शामिल नहीं हैं| इसलिए एंट्रीनंबर 33 लागू होती है | तो फिर खेती क्या है| वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार एग्रीकल्चर यानि खेती की परिभाषा इस प्रकार है:

> "खेती करना, अनाज पैदा करने के लिए ज़मीन जोतने की साइंस व कला है| इसमें पशु और मुर्गीपालन शामिल हैं|"

तो फिर अनाज और खाद्य में क्या अंतर है | यह नया सवाल है |

डिक्शनरीके अनुसार Grain (दाना) एक छोटा सख्त, किसी खुराकी पौधे का बीज है | जैसे कि गेहूँ , राई व अन्य अनाज इत्यादि |

और खाद्य Foodstuff, उस दाने या दानों या अनाज से बनी खाने वाली वस्तु है| जैसे कि आलू और चिप्स का अंतर है या गेहूँ और आटे का अंतर है | गेहूँ का हर दाना बीज है परंतु जब उसको पीस लिया जाता है तो वह खाने वाली वस्तु बन जाता है | जो संविधान में तीसरा संशोधन हुआ उसमें एंट्री 33 में इस्तेमाल किए गए शब्द इस प्रकार हैं |

33 इन वस्तु ओं की पैदावार, सप्लाई और बंटाई के व्यापार और वाणिज्य के लिए यदि

(क) किसी सनत की उपज जिसके संबंध में संसद ने सार्वजनिकहित के लिए इस को तत्परकरार दिया हो| इसमें विदेशों से मंगवाए गए सामान जो कि उसी तरह के हों शामिल हैं|

(ख) फूड स्टफ (अर्थात् खाद्य) जिसमें खाने वाले तेल के बीज और तेल शामिल हैं |

(ग) पशु , जिसमें तेल से बनी खल और चूरा शामिल है |

(घ) बिनौले या बेली हुई कपास और उसके बीज|

(ङ) कच्चा पटसन (जिस से बोरियां बनती हैं)| इनके बारे में कानून बनाना केंद्रने अपने हक में गिन लिया |

इन तथ्यों के सर्वेक्षण से यह साबित हो जाता है कि दाने या अनाज (Grains) और खाद्य (Food stuff) में अंतर है| अनाज सीधे नहीं खाया जा सकता| इसको खुराक में बदलना पड़ता है|

यह तभी फूडस्टफ बनता है| फ़ल सीधे खा सकते हैं| वह अनाज की परिभाषा में नहीं आते|

एंट्री 33 केंद्रीय सरकार को खाद्य संबंधी कानून बनाने का हक देती है ना कि अनाज संबंधी| इस लिए यह कानून केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं | एंट्री 33 में फूड ग्रेन अर्थात् अनाज का जिक्र ही नहीं| इसलिए केंद्र सरकार यह तीनों कानून संवैधानिक तौर पर बना ही नहीं सकती थी | गुजरात हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक वस्तुएँ 1955 की व्याख्या फ़ूड स्टफ में फ़ूड, ग्रेन को शामिल माना है | पर शब्दकोष में यह दोनों अलग-अलग शब्द हैं | इस पर निर्णायक बहस होनी बाकी है |

कॉन्ट्रैक्टफार्मिंग संबंधित कानून

कृषक(सशक्तिकरण और सुरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधीबनाए गए कानून का नाम तो बड़ा आकर्षक रखा गया है परंतु नाम बड़ा और दर्शन छोटे वाली बात है| यह कानून ना तो किसान को सशक्तिकरण (अर्थात् किसान को शक्ति) देने वाला है और ना ही उसका सुरक्षण (अर्थात् सुरक्षा) देने वाला है और ना ही यह फसल की कीमत का विश्वास दिलाने वाला है |इसकी व्याख्या से पता चलता है कि किसान के साथ फिर से जुमलेबाज़ी की जा रही है क्योंकि

1. संवैधानिक तौर पर यह कानून केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता | इस पर सातवें शेड्यूल की 3 नंबर सूची की एंट्री नंबर 33 लागू नहीं होती | यह कानून वाणिज्य और व्यापार के साथ संबंध नहीं रखता|ये खेती करने के साथ संबंधित है और सीधे तौर पर राज्य सरकार के कानून बनाने की सूची की 14 नंबर एंट्री में आता है जिसके द्वारा राज्य सरकार खेती संबंधी कानून बनाने का अधिकार रखती है, न कि केंद्र सरकार | संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार, यदि संसद कोई कानून बनाती है जो कि "संसद के कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र में है", और वह कानून संविधान के सातवें शेड्यूल की सूची नंबर 3 जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सांझे अधिकार क्षेत्र में है तो संसद का बनाया कानून राज्य सरकारों पर लागू होगा | पर अनुबंध खेती संबंधित बनाया गया कानून सांझी सूची की एंट्री नंबर 33 में नहीं आता | यह खेती संबंधित कानून है, न कि वाणिज्य और व्यापार संबंधित | यह राज्य सूची की एंट्री नंबर 14 के अंतर्गत आता है इसलिएयह कानून असंवैधानिक है | यह कानून संवैधानिक अस्तित्व नहीं रखता |

2. दूसरा यह कानून संविधान के फेड्रल ढांचे पर सीधी चोट है। इस कानून की धारा 16 में यह दर्ज किया गया है कि इस कानून को लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार नियम बनाएगी और राज्य सरकारों को यह कानून लागू करने बाबत हिदायत देगी जिसे मानने के लिए राज्य सरकारें बाध्य होंगी । इस तरह राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के अधीन संस्था में बदल दिया गया है जो भारत के फेड्रल ढांचे के अनुकूल नहीं है बल्कि उसे खत्म कर देगी । केंद्र सरकार स्वयं को मालिक और राज्य सरकारों को

अपने अधीन मान रही है। इस तरह की अधीनगी राज्य सरकारों को स्वीकार नहीं होगी। ना ही इसे स्वीकार किया जा सकता है |

3. धारा 2 फार्म खेती का जिक्र किया गया है जिसका अर्थ है कि एग्रीमेंट करने वाले व्यापारी ने किसान को बीज,पशु , खेती रसायन, मशीनरी, तकनीक, दिशा-निर्देश, ग़ैर रसायनिक खेती पदार्थ और इसी तरह की अन्य वस्तुएं जो किसान एवं खेती के लिए जरूरत की हों, वह व्यापारी उपलब्ध करवाएगा। धारा 9 केअनुसार इसके संबंध में जो इकरारनामा लिखा जाएगा उसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से बनाई हुई कोई भी वित्तीय स्कीम के तहत कर्ज लिया जा सकेगा जो किसान या व्यापारी की जरूरतों को पूरा करने के लिए या संभावित जोखिम को टालने के लिए आवश्यक हो।

4. अगर व्यापारी इस तरह की किसी स्कीम के तहत किसान के नाम पर कर्जा ले लेता है तो उस कर्ज की व्यापारी की तरफ से अदायगी न होने की स्थिति में वह कर्ज किसान से वसूल किया जाएगा। और कर्जा लेने के समय यदि बैंक किसान की जमीन बतौर सिक्योरिटी रख लेता है तो वह जमीन किसान के हाथों से निकल सकती है।

5. इस कानून की धारा 14 (7) के अनुसार यदि एसडीएम किसान के खिलाफ किसी तरह की वसूली का कोई आदेश जारी करता है तब वह भू-राजस्व कानूनलैंड /रेवेन्यू एक्ट की धारा 67 के अनुसार बतौर लैंड रेवेन्यू वसूल किया जा सकता है। धारा 67 के अनुसार लैंड रेवेन्यू की वसूली के लिए देनदार की (1)गिरफ्तारी हो सकती है, (2) उसकी चल संपत्ति या खड़ी फसल पर कब्जा किया जा सकता है |या जिस बाबत कर्जा लिया गया है उसकी मल्कियतबदली जा सकती है। इसके अलावा जमीन या संपत्ति की कुर्की हो सकती है । उसके औजार ट्रैक्टरट्रॉली-, पशुधन लिया जा सकता है । जिस जमीन के लिए कर्जा लिया गया है वह बेची जा सकती है।

6. सरकार का यह दावा कि किसान की जमीन लीज़नहीं होगी, ना बेची जा सकेगी, यह खोखलीतसल्ली नजर आती है।

7. इकरारनामा में फसल की क्वालिटी अर्थात गुणवत्ता का जिक्र किया जाना है। जो फसल पकने के बाद बिकने के लिए तैयार की गई है उसका लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया जा सकेगा। और यदि जिंस उसी

क्वालिटी की नहीं है या उसमें कीटनाशक दवाई के अवशेष बाकी रह गए हैं तो व्यापारी जिंस को रद्द कर सकता है और उस फसल को खरीदने से मना कर सकता है। लिखना तो यह चाहिए था कि यदि किसान ने व्यापारी की तरफ से दिया गया बीज ही बोया है और स्प्रे व फसल की देखभाल भी व्यापारी की हिदायत अनुसार ही की है, तब फसल व्यापारी को खरीदनी ही पड़ेगी| यह इस कानून में दर्ज नहीं है।

8. जिस किस्म का इकरारनामा होने बाबत धारा 4 में दर्शाया गया है उसकी पालना साधारण किसान के लिए संभव नजर नहीं आती। जैसे कि जिंसका ग्रेड, मोटाई, दाने का आकार व रंग, माल की गुणवत्ता, कीटनाशक रहने, फूड सेफ्टी स्टैण्डर्ड की पालना, खेती करने के नए ढंग, लेबर व सामाजिक स्टैण्डर्ड की पालना और फसल की बुआई से पकने के दौरान इन सब की कोई तीसरीपार्टी द्वारानिरीक्षण, यह देखने के लिए करवाते रहना कि ऊपर दिए गए मापदंडों की पालना हुई है हुई या नहीं । इनके पूरा न होने पर व्यापारी को छूट है कि फसल रद्द कर दे।

9. इकरारनामा में फसल की खरीद का भाव लिखा जाएगा जिसका मापदंड अलग-अलग मंडियों में उस फसल के चल रहे भाव या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के माध्यम से दिए जा रहे भाव को आधार बनाया जाएगा| इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) कोआधार नहीं माना गया है | सरकार का ये दावा कि एम.एस.पी. थी, है और रहेगी झूठा साबित हो जाता है । बल्कि एम.एस.पी. खत्म कर दी गई नजर आती है।

10. धारा 7 (2) के अनुसार व्यापारी पर स्टॉक की कोई पाबंदी नहीं होगी। वह जितना चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर करवाई गई खेती से फसल खरीदे एवं स्टॉक करे, सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा।

11. राज्य सरकार द्वारा मंडियों के संबंध में बनाए गए कानून लागू नहीं होंगे। विवाद होने की स्थिति में, विवाद का निपटारा करने के लिए जो तरीका बताया गया है कि इकरारनामा में एक बोर्ड बनाकर उसका जिक्र किया जाएगा और बोर्ड सुलह-सफाई करवा कर समझौते के माध्यम से फैसला करवाएगा। अगर बोर्ड नहीं बनाया जाता तो एस.डी.एम. एक बोर्ड की नियुक्ति करेगा। यदि बोर्ड फैसला करवाने में असमर्थ रहता है तो एस.डी.एम.30 दिन के अंदर फैसला करेगा । एस.डी.एम. द्वारा

किया गया फैसला सिविल कोर्ट के फैसले की तरह मान्य होगा और उसकी इजराये करवानी होगी जिसका बहुत लंबा व पेचीदा तरीका है। सिविल कोर्ट द्वारा दी गईडिक्रीउसी अदालत में इजराय हो सकती है जहां पर देनदार रहता है और जहां उसकी संपत्ति है | मुंबई का व्यापारी पंजाब, हरियाणा या अन्य जगहों से खरीद करता है तो उसके खिलाफ मुंबई की अदालत में इजराये हो सकेगी ना कि उस अदालत में जिसने डिग्री की है । इस तरह कौन किसान किसी व्यापारी के खिलाफ मुंबई या अन्य जगहों पर जाकर उसकी जायदाद कुर्क करवा कर एवं अदालत के माध्यम से बिकवा कर वसूली कर सकेगा। और यदि व्यापारी एल.एल.पी. है, उसकी कोई जायदाद भारत में नहीं है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ना उस पर लैंड रेवेन्यू कानून लागू होगा । इस तरह किसान तो बिल्कुल मारा जाएगा।

यदि एक-एक धारा का विश्लेषण करेंगे तो ऐसा और भी बहुत कुछ निकल कर सामने आ जाएगा। सरकार के दावे कि इन कानूनों के अंदर कुछ भी काला नहीं है और यह किसान के हक में है, एकदम झूठ साबित हो जाते हैं।

किसान कानून में संशोधन को क्यों नहीं मान रहे

क्योंकि केंद्र सरकार को दो नंबर लिस्ट की एंट्री 14 से तीसरीलिस्ट की एंट्री 33 के संबंध में केंद्र को अनाज और खेतीसंबंधित कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है इसलिए यदि किसान इन कानूनों में संशोधन करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो वह केंद्रसरकार का इनमुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार मान रहे होंगे |

केंद्र सरकार भी यही चाहती है कि यदि किसान इन कानूनों को दो या तीनवर्ष के लिए स्थगित करने के लिए मान लेंतो केंद्र सरकार कोभविष्य में इन एंट्री से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्तहो जाएगा और केंद्र सरकार अपनेमनचाहेकानून बनाती रहेगी| राज्य सरकारों का दखल खत्म हो जाएगा |यह गहरी चाल है |

खेत और खेती दोनों खतरे में

दूसरी बार है जब, बाहरी देशों ने, भारतीय कानूनों का, अपना फायदा पहचानते हुए स्वागतकिया है। पहले 2008में जब रमेश चंद्र कमेटी की सिफारिशों पर, भारत के 1932 में बनाए गए रिवायती पार्टनरशिप एक्ट की जगह एक नया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, जिसके अनुसार, विदेशों में बैठे कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति, व्यापारी या व्यापारिक कंपनियाँ, आपस में मिलकर, बाहर बैठेएक कंपनी बनाकर भारत में व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए शर्त यहहै कि उन्हें एक भारतीय सदस्य शामिल करना होगा जो चाहे किसी तरह की आर्थिक क्षमता ना रखता हो, वह चाहे एक बस चलाने वाला ही क्यों ना हो।

यह कानून बनने के बाद, नॉर्थ अमेरिका के पेशेवरोंकी एक संस्था ने जोरदार स्वागत किया और खुलेआम कहा कि अब मौका मिला है हमेंबाहर बैठे भारत में व्यापार करने का। इस कानून ने तो हमारे लिए भारत के दरवाजे खोल दिए हैं।

बाहर बैठे व्यापारियों को, इस कंपनी द्वारा किए गए जुर्म व घपलेबाजी में पकड़ना या सजा देना मुश्किल होगा, भारतीय हिस्सेदार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण आपकुछ भी नहीं करसकेंगे। पहले भोपाल गैस कांड में कई हज़ार मौतों की सजा भी तोबाहर बैठे मालिकों को नहीं दी जा सकी |

दूसरा-अब कैनेडा के अखबार टोरंटो स्टार में 22.01.2021 को हिना आलम (Hina Alam) द्वारा लिखे गए लेख मेंबताया गया है कि भारत में बने नए कृषि कानूनों का कैनेडाके बड़े खेती व्यापारी स्वागत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बाहर बैठे हुए भारत के कृषि क्षेत्र में प्रवेश करने अथवादखलअंदाजी करने का अवसर मिल गयाहै।

ब्रिटिश कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शशि इनार्थ (Shashi Enarth) ने विचार व्यक्त किया है कि भारत में नए बनाए कृषि कानून आप को खुली छूट देते हैं कि कहीं भी आप अपने उत्पादन बेचसकते हो या खरीद सकते हो | क्योंकि भारत सरकार एम.एस.पी. से अपने हाथ पीछे खींच रही है जिसके चलते भारत में कृषि उपज की कीमतें नीचे गिर जाएंगीतब कैनेडाको अपनी पैदावार भारत में बेचने का अवसर मिल जाएगा, खास तौर पर इसलिए भी, कि सरकार ने आयात पर कोई टैरिफ लगाने की बात इन कानूनों में

नहीं की है। टोरंटो यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर राजी जयारमन (Raji Jayaraman) का कहना है कि इन कानूनों का विदेशों की कृषि उपज को अपरोक्ष/indirect फायदा होगा। उसका अनुमान है कि भारत का कॉरपोरेट सेक्टर अपना असर इस्तेमाल करके, भारत में कृषि उत्पादन का भाव गिराने में सफल हो जाएगा तब विदेश के व्यापारी अपनी कृषि उपज भारत में बेच सकेंगें औरयह काम भारतीय व्यापारी भी कर सकेंगे क्योंकि उनको खरीद करने, भंडारण करने, निर्यात करने या भारत में रखने कीनए कानूनों के माध्यम से पूरी छूट है।

बड़े व्यापारी संस्थान, जिनकी मार्किट पहुँच, पूराविश्व है जैसे बिल गेट्स, माइक्रो सॉफ्ट, एप्पल, अमेज़ोन आदि ने सोचना शुरू कर दिया है कि आने वाले समय में सब से अधिक मुनाफ़े वाला संस्थान, खाद्य है | क्योंकि इस धरती के तीन भाग समुंदर हैं | कुछ पहाड़ों, दरियाओं, जंगलों और पठारों में है, कृषि योग्य बहुत कम धरती रह जाती है जो मकानों के निर्माण के साथ दिन-प्रतिदिन कम हो रही है और आबादी बढ़ रही है | इसलिए आने वाले बीस-तीस वर्षों में खाद्य वस्तुओं की मांग बहुत बढ़ जाएगी | जो संस्थान अब कृषि योग्य भूमि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कब्ज़ा कर लेगा वह विश्व की आर्थिकता पर राज करेगा |

इस की एक मिसाल इस बात से मिलती है कि जॉन विलिअम्स की ओर से यू ट्यूब पर दी गई जानकारी के मुताबिक बिल गेट्स जो कंप्यूटर जगत का सब से बड़ा दस्तकार है, ने अमेरिका में दो लाख पचास हज़ार एकड़ कृषि योग्य ज़मीन खरीद ली है जिस का विवरण उसने दिया है | उसके अनुसार 25000 एकड़ एरिज़ोना में, 45000 एकड़ कैलिफ़ोर्निया में, 16000 एकड़ वाशिंगटन में, 9200 एकड़ इडाहो में, 2200 एकड़ कैलोरोडो में, 20000 एकड़ निब्रास्का में, 46000 एकड़ अर्कांसास में, 17140 एकड़ इलिनोइस में, 70000 एकड़ लुसिआना में और 15000 एकड़ फ्लोरिडा में खरीद रखी है |

लैंडमैटरिक्स के 2018 के एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया में कृषि वाली भूमि का 9 फ़ीसदी खुराककी पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जाता है | 38 फ़ीसदी खुराक के इलावा अन्य वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है|

वर्ष 2000 से 2018 तक कॉर्पोरेट सैक्टर ने 26.7 मिलियन हेक्टेयर खेती वाला रकबा दुनिया में, दूसरे देशों में जा कर खरीद लिया है| इन बड़े व्यापारी संस्थानों ने उन देशों को निशाना बनाया है जहां की

सरकारें कमज़ोर हैं या दूरंदेशी नहीं हैं, जैसे कांगो, सूडान, मोज़ाम्बिक, इथोपियातथा सैंट्रल मध्य अफ्रीका| यह करोड़ों एकड़ खेत दरियाओं के नज़दीक खरीदे गए हैं ताकि दरिया का पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके | क्योंकि सऊदी अरबिया में पानी की कमी है और ज़मीन कृषि योग्य नहीं है, सऊदी अरबिया ने भी लाखों एकड़ खेती वाला रकबा दूसरे कमज़ोर देशों में खरीद लिया तथा वहां अनुबंधित खेती/कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा के पैदावार अपने देश में या व्यापार के इस्तेमाल के लिए बड़ी मात्रा में योजना बनाई है| ये रुझान भारत में भी बढ़ रहा है जिस कि केंद्र सरकार की ओर से पीठ थप थपाई जा रही है |

इस के इलावा मीट के क्षेत्र में भी भारी रकम लगाई जा रही है | इसलिए नहीं कि मीट का उत्पादन बढ़ाना है बल्कि इसलिए कि मीट का बाज़ार ख़त्म करके, कृषि उत्पादन, खाद्य खुराक पर कब्ज़ा करके,उस के बीजों को वैज्ञानिक तरीके से बदल कर उसकी जीन को बदल कर और इस तरह तब्दील किये बीजों को पेटेंट करवा कर, बीज बाज़ार पर कब्ज़ा करना और आहार को लेबोरेट्री में बदलाव की क्रिया करके,एक नए आकार में खाद्य वस्तुएं पैदा करने से पहले लोगों को बतानाकि आप को क्या खाना चाहिए और वो जो खाना चाहिए वह कंपनी बताएगी और देगी भी |

बड़े कॉर्पोरेट घराने इस ओर बढ़ रहे हैं| उनकी नज़र अब भारत के विशाल कृषि सैक्टर पर है जिस से वह यहाँ के कॉर्पोरेट घरानों के साथ मिल कर या अकेले-अकेले इस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं | इस प्रक्रिया में भारत सरकार उनकी मदद कर रही है और भारत के बड़े व्यापारी इस ओर चल पड़े हैं |

जहां तक भारत के कॉर्पोरेट घरानों का ताल्लुक है वह इस कोशिश में हैं कि (1) हमें खुली मार्किट मिलनी चाहिए (2) हम पर कोई पाबंदी या कंट्रोल न हो (3) हमें कोई मंडी टैक्स या टैरिफ न देना पड़े | जिसका प्रावधान सरकार ने नए कानूनों में कर दिया है | सरकार को लाखों लोगों के जज़्बात, दुःख और मुश्किलों के साथ कोई सरोकार नहीं जो दिल्ली की सीमाओं पर महीनों से बैठे, शांतिपूर्वक आन्दोलन कर रहे हैं| सरकार की प्राथमिकता व्यापारी घराने हैं जो खेत व खेती उत्पादन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं |

इससे पहले वर्ष2000 में भारत सरकार ने भारत में अलग-अलग स्थानों पर स्पैशल इकनोमिक ज़ोन (SEZ-सेज़) बनाने के लिए हजारों एकड़ ज़मीनें किसानों से अधिग्रहण कर लीं और बड़े व्यापारी घरानों को यह कह कर दे दीं कि इस ज़मीन पर बनी सेज़ को विदेशी इलाका (Foreign Territory) माना जाएगा और

आप यहाँ जो भी पैदावार करोगे वह विदेशी पैदावार मानी जाएगी | आपको कोई टैक्स या टैरिफ नहीं लगेगा | जो वस्तुएं भारत में अन्य स्थानों पर पैदा हो कर इस सेज़ में आएंगी उनको निर्यात अर्थात् बरामद या देश से बाहर भेजे जाने वाली वस्तु माना जाएगा तथा सेज़ से भारत के अन्य भागों में जाने वाली वस्तुओं को भारत में आयातित अर्थात् विदेश से आई वस्तु माना जाएगा|

यह सेज़ बनाने के लिए व्यापारी ने ज़मीन का चुनाव खुद करना है और सरकार को बता देना है कि मुझे यह ज़मीन चाहिए | इस के ये खसरा नंबर हैं और ये मालिक हैं | ज़मीन जितनी भी कहे, बिना किसी हक़ के, वह अंगुली रख दे, सरकार, कलेक्टर रेट पर या उस इलाके में हुई रजिस्ट्रियों की औसत कीमत निकाल कर, किसानों से प्राप्त करके कॉर्पोरेट घरानों को दे देगी | इस तरह हजारों एकड़ ज़मीन हरियाणा के दिल्ली और दूसरे शहरों के आस-पास के इलाकों में अधिग्रहण करके बड़े व्यापारियों को दे दी गई, जिस पर न सेज़ बनी, न कारखाने लगे, न व्यापारिक कारोबार हुआ| कौड़ियों के भावहज़ारों एकड़ ज़मीन एक-एक सेज़ में कॉर्पोरेट को दे दी गई | उस समय लगभग 800 सेज़ यूनिट बनाए गए |

जब एक केस पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के संज्ञान में आया कि सेज़ ज़मीनें तो खेती के लिए कॉर्पोरेट घरानों द्वारा प्रयोग की जा रही हैं तो सरकार को इस बाबत पूछा गया तो सरकार बजाय इसके ये ज़मीनें किसानों को वापिस दिलवाए, उल्टा एक आर्डिनेंस जारी करके उसेबाद में कानून बना दिया और ये प्रावधान कर दिया कि अगर किसी उद्योगपति ने उद्योग के लिए ज़मीन ली है और उसके प्रयोग की तबदीलीके लिए दरखास्त दे रखी है तो इस ज़मीन पर भूमि सुधर अधिनियम (Land Reforms Act) लागू नहीं होगा | इस तरह के कदम बाद में पंजाब सरकार ने भी उठाए |

नए बनाए गए कानून बड़े व्यापारियों का खेती पर कब्ज़ा करने के यत्नों को सम्पूर्णता की ओर ले जाने का कदम है | इसीलिए इन्हें बदलने के लिए सरकार तैयार नहीं | लोगों का संघर्ष उनके लिए व्यर्थ यत्न है | सरकार अब तक सरकार लोगों को जाति, धर्म और जुमलों से आपस में जुड़ने नहीं दे रही थी और अपने आप को महफूज़ महसूस कर रही थी | यह भ्रम इस जनसंघर्ष ने तोड़ा है| पहली बार इस संघर्ष ने जाति और धर्म के अंतर से ऊपर उठ कर सारे देश में वर्ग चेतना पैदा की है |अब हर किसान एक-दूसरे को कहता है तू भी किसान मैं भी किसान और गरीब कहता है तू भी गरीब मैं भी गरीब, अपनी सांस एक- अपनीराह एक | यह चेतना सारेभारत में बुनियादी तबदीली ला सकती है|

आई.एम.एफ.(I.M.F.) का बनना

1944 में जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के सांझे गुट को अपने विरोधी गुट जापान, इटलीव जर्मनी को हरा कर, दूसरे विश्व युद्ध को जीतने का विश्वास हो गया तो 44 देशों केनुमायंदे अमेरिका के न्यूहैम्पशायर शहर में मिल बैठे और युद्ध ख़त्म होने के पश्चात् विश्व के आर्थिक प्रबंध का ताना-बाना बुनना शुरू कर दिया | इनमें रूस बुनियादी भागीदारी के बाद किनारा कर गया था |

1944 में न्यूहैम्पशायर में हुए 44 देशों के समूह ने एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए जिसे ब्रैटनवुडज़ समझौता कहा गया | इस ब्रैटनवुडज़ समझौते द्वारा दोनए संस्थान अस्तित्व में लाएगए | पहले नंबर पर इंटरनेशनल मोनिटरी फंड| 22 जुलाई 1944 कोबने इस संस्थान को स्थाई तौर पर एक मंच बनाकर, विश्वके पूँजी संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मसलों को हल करने का एक माध्यम बना दिया गया |अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधा प्रदान करनी और सदस्य देशों के बीचलेन-देन को स्थिरता देना इस के उद्देश्यों में था |

जो छुपा हुआ मुद्दा इस संस्था के माध्यम से पूरा करना था वह था संसार में लेन-देन, भुक्तान व अदायगी का सिस्टम तैयार करना, जिससे विदेशी मुद्रा की बंदिश आसान हो जाए| छुपा हुआ मुद्दा यह था कि किसी तरह अमेरिकी डॉलर को विश्व भर के व्यापार तथा लेन-देन का माध्यम बनाया जाए जो इस समूह में मान लिया गया और यू.एस. डॉलर को विश्व भर मेंलेन-देन का माध्यम ऐलान कर दिया गया |

सदस्य देशों के कोटे तय किए गए | कोई भी सदस्य देश अपने तय कोटे के अनुसार, सदस्यता शुल्क (Subscription) देना था, जो कि 25 फ़ीसदी तो सोने अथवा डॉलर के रूप में अदा करने थे व बाकी रकम अपनी मुद्रा में, जिसकी कीमत यू.एस. डॉलर अनुसार तय की गई थी, अदा की गई व कोई भी सदस्य अपने कोटे के अनुसार विदेशी मुद्रा इस फंड में से खरीद सकता था | कोटे का एक यूनिट एक लाख यू.एस. डॉलर का था | कोटे के अनुसार ही मैनेजमेंट के चुनाव के समय वोटों का अधिकार दिया गया | मिसाल के तौर पर कुछ देशों का कोटा ऑस्ट्रेलिया 200, कैनेडा 300, चीन 550, फ्रांस 450, इंडिया 400, मैक्सिको 90, दक्षिणी अफ्रीका 100, इंग्लैंड 1300, अमेरिका 2750, रूस के लिए 1200 रखा गया | रूस ने बाद में ये लेने से इंकार

कर दिया और ब्रैटनवुडज़ समझौते को सरकारी मंजूरी देने से मना ये कह कर दिया कि ये तो वॉल स्ट्रीट (न्यूयार्क के आर्थिक सस्थानों की भूमिका निभाएगा) |

हरदेश की मुद्रा की पार वैल्यू अर्थात् अदला-बदली मूल्य सोने पर आधारित माना गया या यू.एस. डॉलर जिसकी सोना खरीदने की खरीद शक्ति 1 जुलाई 1944 कोथी, के बराबर माना जाना था |

सोने की भी पार वैल्यू तय की जानी थी और कोई भी सदस्य देश इस पार वैल्यू से कम या ज़्यादा कीमत पर सोना न ही खरीदेगा न ही बेचेगा | इसमें एक तय किए गए अंतर (मार्जिन) कम-ज़्यादा हो सकता था|

अगर किसी देश को आई.एम.एफ. फंड की सदस्यता की फीस के तौर पर दी गई मुद्रा की ज़रुरत पड़ जाए तो वो उसके बदले सोना दे कर अपनी मुद्रा वापिस ले सकता है |

फंड को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ़ गवर्नर कोटे के अनुसार वोटों के आधार पर पांच वर्ष के लिए चुना जाता है |

हर देश को आई.एम.एफ. को बताते रहना पड़ता है कि (1) उसके पास कितना सोना है (2) कितने यू.एस. डॉलर हैं (3) कितने सोने का देश में उत्पादन हो रहा है (4) कितना सोना आयात या निर्यात किया जा रहा है अथवा किया जाना है (5) कितनीअन्य वस्तुओं का आयात-निर्यात हो रहा है (6) तथा कितनी अंतर्राष्ट्रीय अदायगी बाकि है आदि हर किस्म की अंदर की जानकारी फंड के पास जानी चाहिए|

आई.एम.एफ. ने ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम और सुविधाएँ तय करनी हैं जिस का हर सदस्य देश ने पालन करना है | इसके मुख्य अधिकार कोटे के मुताबिक वोटों की वजह से अमेरिका और इसके सहायक ही रहे हैं| (See Articles of Agreement iNternational Monetary Fund July 22, 1944)

वर्ल्ड बैंक का बनना

1944 में ब्रेटलवुड्स एग्रीमेंट ने अमेरिका के डॉलर को दुनिया के व्यापार का माध्यम बनाकर अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की विश्व में प्रभुत्व कायम कर दिया। 22 जुलाई 1944 को एक और अहदनामा के तहत आई.एम.एफ. के सदस्यों ने एक नया बैंक खोलने का फैसला किया। जिसका काम पुनः निर्माण व उन्नति के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक, जिसको अक्सर वर्ल्डबैंक कहा जाता है। इस बैंक के प्रमुख सदस्य वही होने थे जो आई.एम.एफ. के सदस्य बने थे। इसका प्रमुख स्टॉक (जिसकी पूंजी)10 अरब डॉलर था जिसको एक-एक लाख के एक लाख शेयर में बांटा गया और आई.एम.एफ. के सदस्य देशों को अपने तय कोटे के अनुसार शेयर खरीदने का अधिकार दिया गया। मेंबरशिप शेयर की कीमत सोने या यू.एस. डॉलर के रूप में अदा करनी थी। (4)

(See Articles of Agreement of the International Bank for Reconstruction and Development)

विश्वके अर्थ चारे पर बैंकों का नियंत्रण

1. अब सवाल उठता है कि इन सब घटनाओं का संसार भर के आर्थिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ा और पड़ रहा है। इसे समझने के लिए एक बयान को समझना जरूरी है। जो लंदन में कारोबार कर रहे रोथ्सचाइल्ड भाइयों ने अपने न्यूयार्क के कारोबारी हिस्सेदारों को लिख कर भेजा। जो इस तरह था :

"जो लोग इस व्यवस्थासिस्टम को समझते हैं /, वो या तो अपने लाभ के लिए, या अपने लिए रियायतों की वजह से चुप रहेंगे और उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं होगा।

जब कि दूसरे तरफ, लोगों की वह बड़ी गिनती, जो मानसिक तौर पर यह समझने के काबिल नहीं कि पूँजी सरमाया / Capital इस सिस्टम का कितना बड़ा फायदा उठा रहा है, वे इस भार को बिना किसी शिकायत के सहते रहेंगे, और वे शक भी नहीं करेंगें कि यह सिस्टम उनके हितों के खिलाफ है।"

क्या यह आजभी सच नहीं ?

2. अमेरिकी डॉलर का व्यापार का माध्यम बनना, कुछ एक देशों को छोड़कर बाकी सारी दुनिया को अमेरिका का आर्थिक गुलाम बना गया। ब्रेटलवुडस समझौते पर दस्तखत करके शुरू में ही 44 देशों ने, बाद में लगभग सभी ईरान, सीरिया, लिबनान, सोमालिया, सुडान, इराक और रूस के अलावा बाकी सभी देशों ने अमेरिकी डॉलर को लेन-देन का माध्यम मान लिया। किसी देश में जाकर कुछ भी खरीदना हो तो आपके पास अमेरिकी डॉलर होना चाहिए।

अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक डॉलर छाप कर विदेशी मुद्राके बतौर सोने या चांदी के बदले दूसरे देशों को देता है।

जब कुछ देशों ने सवाल किया कि हम तो आपसे सोना चांदी या सामान देकर कागज़ के छपे हुए टुकड़े (Currency) लेते हैं तो हमें क्या भरोसा है कि कल को हमें इनके बदले मांग करने पर वापस सोना इनके मूल्य के बराबर मिल जाएगा, तो अमेरिका ने दुनियाभर को यह गारंटी दी की कि जिसके पास भी 35 डॉलर होंगे तो उसके मांगने पर हम 35 डॉलर के बदले में एक औंस (30 ग्राम) सोना देंगे | 1 जुलाई 1944 को 1

डॉलर का जितना सोना आता था उसे सोने की कीमत का आधार माना गया।

यह सिलसिला चलता रहा। डॉलर प्रधान बना रहा। फेडरल बैंक दिन रात नोटों की छपाई करता रहा और दुनिया को विदेशी करेंसी के बतौर देता रहा। 1970 के करीब जब फ्रांस के बैंकों ने देखा कि उनकी तिजोरियाँ व कमरे अमेरिकी डॉलर से भरे हुए हैं, जो छापे गए कागज के टुकड़े ही तो हैं। तब उन्होंने अमेरिका को कहा कि वह सारे नोट वापस ले ले और हमें इसके बदले में दी हुई गारंटी के अनुसार, सोना दे दिया जाए। तो अमेरिका ने देखा कि जितने नोट वह छाप चुके हैं, तो सोना तो उसके हिसाब से 10 वा हिस्सा भी नहीं रहा था। तो अमेरिका के प्रेज़िडेंट निक्सन ने 1971 गारंटी स्थगित कर दी। अब डॉलर के बदले में सोना या चांदी की कोई गारंटी नहीं।

पेट्रो डॉलर

अब अमेरिका को दुनिया भर के देशों को भरोसा दिलवाने की जरूरत थी, कि वह डॉलर के बदले सोने की जगह और क्या दे सकता है तो अमेरिका ने गल्फ के देशों पर दवाब डाला कि वो अपना तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर के बदले ही बेचें, किसी और करेंसी के बदले न बेचें क्योंकि कुछ देश जिन्होनें ब्रेटनवुड्स समझौते को अभी भी नहीं माना था, वे अपना तेल अपनी मर्जी से किसी भी करेंसी, जो उन्हें ठीक लगती थी, के बदले बेच देते थे। अमेरिका ने इन गल्फ देशों को अपनी फौजी ताकत से सुरक्षा की गारंटी दी और साथ ही यह शर्त भी लगा दी थी कि आप डॉलर लेकर ही तेल भेजेंगे और लिए हुए डॉलर अमेरिका के बैंकों में जमा करवाओगे या अमेरिका में निवेश करोगे।

यह शर्त इराक, ईरान, लीबिया में कुछ अन्य देशों में जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, ने स्वीकार नहीं की। इराक के सद्दाम हुसैन ने अपना तेल यूरो करेंसी के बदले में बेचना शुरू कर दिया, ईरान ने चीन को युवान के बदले वे लीबिया ने दिनार के बदले। लीबिया ने तो अपना दिनार सोने का सिक्का ही बना दिया जिसका नाम गोल्ड दिनार रखा गया। यह गोल्ड दिनार डॉलर से ज्यादा स्वीकार किया जा रहा था। इसीलिए इराक व लीबिया को तबाह कर दिया गया। अब ईरान की बारी है।

4. इसके पीछे छुपी हुई व अप्रत्यक्ष ताकते कौन सी है इसे किस तरह संचालित करती हैं, उसका अंदाजा कुछ इस तरह से है।

(1) फेडरल रिजर्व के सिवायबहुत से बैंकों परकॉर्पोरेट का कब्जा है।

(2) इन बैंकों में दुनिया जितना कुल पैसा है, उसका 80 फीसदी जमा है।

(3) इन बैंकों की पॉलिसी है कि जितना अधिक सम्भव हो सके लोगों को उतना कर्जदार कर दो।

(4) घरेलू खरीददारी के लिए हर आदमी की जेब में एक क्रेडिटकार्ड रख दो, जिसके आधार वह बिना पैसा दिए उधार खरीद कर सके। लोगों को उधार लेने की आदत बना दो ताकि जब वे लोग उधार लिया गया पैसा या सामान की कीमत न मोड़ सकें तो उस पर अधिक ब्याज लगा कर जितना शोषण किया जा सके वह करो।

(5) जब लोग कर्ज से तंग आ जाएंगे तब अपनी सरकारों को घेरेंगें| इस हालत में उन देशों की सरकारें आपसे कर्ज की मांग करेंगी, उस समय जितना अधिक से अधिक सम्भव हो सके उतना सरकारों को कर्जा दो। उनसे अपनी शर्तेंमनवा लो, फिर उनसे सरकारी नीतियां अपने पक्ष में बनवाते रहो|

(6) यह भी कहा जाता है कि यदि कोई सरकार या सरकार का प्रमुख यह स्वीकार ना करे तो सरकार को पलट दो या सरकार के राजा, प्रेज़िडेंट, प्रमुख या प्रधानमंत्री आदि जो भी हो उसे मरवा दो।

इस तरह इराक के सद्दाम हुसैन, लीबिया के गद्दाफी सहित अनेक अन्य देशों के अनगिनत उदाहरण है। इससे अमेरिका भी बच नहीं सका, 6 प्रधान जैसा कि ऊपर बताया गया है, इनके शिकार बने। Michael Rivero के अनुसार यहीं पर इसका अंत नहीं हो जाता, इस कॉरपोरेट सेक्टर ने अमेरिका में भी फौजी राज पलटने के प्रयास किए हैं। अमेरिका की नेवी का एक बड़ा मशहूर जनरल, मेजर जनरल समेडले बटलर को प्रेरणा की कोशिश की कि वह अमेरिका में राज पलट कर दे। और प्रेजिडेंट की जगह सेकेट्री ऑफ जनरल अफेयर्स को मनोनीत करे जो न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट के कॉरपोरेट सेक्टर के प्रति जवाब देह हो। क्योंकि प्रेजिडेंट फ्रेंकलीन डी रूजवेल्ट (Franklin Delano Roosevelt) जो 1933 से 1945 तक प्रधान रहे ने अपनी पहले चुनाव के बाद एक न्यूडील नाम का प्रोग्राम दिया जिसके अनुसार बैंकों सम्बन्धी कानून में तब्दीली लाना, कई रिलीफ प्रोग्राम जिनमें कर्मचारी और अन्य कामों में लगे कर्मचारियों को सहूलतों और खेतीबाड़ी के सम्बंध में सुधार लाना शामिल था। जो बैंकों के मालिकों व कॉरपोरेट सेक्टर को पसंद नहीं था। वो रूजवेल्ट को हर हालत में हटाना चाहते थे।

जनरल बटलर पहले तो जानबूझकर उनकी हां में हां मिलाता रहा पर बाद में उस नेसारी कथा संसद को बता दी | सत्ता पलटने से बच गई पर प्रेज़िडेंट रूस वैल्ट सत्ता पलट करने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई ना कर सका क्योंकि वह सरकार और दरबार में रसूख रखते थे| रूसवैल्ट दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कुछ सत्ता पलटने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सके|

जनरल बटलर ने अपने बारे में लिखते हुए अपना कड़वा तजुर्बा इस तरह बयान किया "मैंने 33 साल

चार महीने फौज की नौकरी, इसके सबसे महत्वपूर्ण अंगनेवी में एक्टिव सर्विस की| मैं सेकंड लेफ्टिनेंट से जनरल तक के सारे ओहदों पर रहा हूं | इस समय के दौरान मैं एक तरह बड़े व्यापारी घरानों, वॉल स्ट्रीट और बैंकों के मालिकों काम सलमैन रहा हूं | मुझे लगता है मैं इनकी रैकेट का हिस्सा बन गया था| अब मुझे यकीन हो गया है कि फौज में काम करते सभी व्यक्तियों की तरह मेरा भी कोई असल विचार नहीं था| मेरी सोचने की शक्ति एक तरफ रख दीगई थी | मैं हमेशा ऊपर वालों के हुक्महो मानता रहा हूं| मैंने मैक्सिको देश को अमेरिका के हितों के अनुकूल बनाया | मैंनेहैती और क्यूबा को नेशनल सिटी बैंक के लाभ के अनुकूल बनाया | मैंने निकारगोआ को ब्राउन ब्रदरसके बैंकों के लिए रास्ता साफ किया | मैंने अमेरिका की शुगर इंडस्ट्रीके लिए डोमिनिकन रिपब्लिक को अनुकूल बनाया | इसके बदले मुझे प्रोत्साहन दिया गया, तमगे दिए गए, तरक्की भी दीगई| अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं तीन महादीपों में इन की साजिशोंका हिस्सा बना रहा हूं|

I.T.O. का न बन सकना

ब्रैटनवुड्स समझौते के बाद वर्ल्ड बैंक और आई.एम.एफ. की, अमेरिका की तरह से, 1945 में, मिले अनुमोदन के बाद अमेरिका के अध्यक्ष हैरी एस ट्रूमैन (Harry S Truman) की कार्यकारिणी ने विश्व स्तर पर 1947 में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था बनाने का यत्न किया,जिसका प्रारूप हवाना चार्टर के नाम से तैयार हुआ| प्रारूप में अगर आपका भिखारी पड़ोसी है (Thy Neighbor Begger) को ध्यान में रख कर पालिसी बनाई गई, जिसे अमेरिका के अध्यक्ष की कार्यकारिणी की मंजूरी तो प्राप्त थी पर अमेरिका की संसद ने मना कर दिया | इस तरह यह I.T.O. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के नाम पर बनने वाली संस्था जन्म से पहले ही मर गई परन्तु एक और संस्था को जन्म दे गई |

स्मरण रहे कि प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होने पर अमेरिका के अध्यक्ष वुडरो विल्सन के यत्नों के साथ 1920में लीग ऑफ़ नेशन्ज़ बनी थी पर अमेरिका खुद इसका सदस्य न बन सका क्योंकि संसद में बहुमत न होने के कारण विल्सन को अनुमोदन नहीं मिली|

गैटका अस्तित्व में आना

I.T.O. के न बन सकने के बाद 1948 तक अमेरिका के प्रेज़िडेंटहैरी एस ट्रूमैन जो कार्यकारी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी संसद कि मंजूरी लिए बिना अमेरिका को विश्व स्तरीय इकरारनामों के पाबंद करने के सामर्थ हो चुके थे, नेअमेरिका की तरफ से ही एक और विश्व स्तरीय इकरारनामेके तहत एक नई संस्था कायम करने का कार्य प्रारंभ कर दिया | इस इकरारनामे का नाम General Agreement on Teriffs and Trade (GATT) अर्थात् व्यापार और व्यापारिक उत्पादन पर टैक्स के बारे में आम सहमति के नाम पर इस इकरारनामे (गैट) केकर्ता 22 विकसितदेश थे, जिनके सामने सबसे बड़ी समस्या उन सभी देशों को जोड़ना, जो देश या तोनिहायत गरीब थे या तरक्की की राह पर चले ही थे या सियासी तौर पर किसी तानाशाह के अधीन थे या फिर किसी देश की कॉलोनी ही थे, या फिर सरकारों की ओर से चलाई जा रही आर्थिकताओं से नावाकिफ़ थे | इसका विवरण जॉन एच जैक्सन और उसके दो और साथियों विलिअम डैवी तथा एलन ओ साईक्स की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के संबंधी कानूनी समस्याएं किताब में मिलता है | (5)

विकसित देश भी ये महसूस करते थे यदि सब को सदस्य बना लिया गया तो विकसित देशों की अहमियत कम हो जाएगी, वे अपनी शर्तों पर व्यापार नहीं कर सकेंगे | वे चाहते थे कि विश्व व्यापार की शर्तें वे ही तय करें या फिर उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए अलग नियम बनाए जाएँ | जबकि अभी विकास कर रहे देश एक नया व्यापारिक संसार प्रबंध चाहते थे और खास सहूलतों की मांग कर रहे थे |

प्रोफेसर जैक्सन के अनुसार (World Trade) यह फ्री ट्रेड बनाम सुरक्षावाद या अंतर्राष्ट्रीयता बनाम प्रभुसत्ता (Sovereignty) का मुद्दा बन गया | विकसित देश चाहते थे कि कम विकसित देशों पर जो पाबंदियां लगाई जाएँ वह इस तरह की हों जिन्हें विकसित देश लागू करवा सकें और लागू करने के लिए भी एक अलग संस्थान होना चाहिए | पर दूसरे देश ऐसी पाबंदियों की विरोधता कर रहे थे और अपने साधनों की सुरक्षा की मांग कर रहे थे|

गैट समझौते में धारा 18 डाली गई, जिसके अधीन विकास कर रहे देशों को कुछ रियायतें दी गईं; जिनको 1955 में परिवर्तित कर दिया गया | ये चार प्रकार की रियायतें थीं | जैसे (1) अगर आप की इंडस्ट्री अभी बचपन अवस्था में है (2) अगर आप किसी खास किस्म की इंडस्ट्री नए सिरे से विकसित करना चाहते हो (3)अगर आप की (बैलेंस ऑफ़ पेमेंट) अदा करने योग्य रकम का संतुलन बिगड़ा हुआ है (4) या फिर अगर आपकी आर्थिकता अभी विकास के शुरूआती दौर में है और जीवन स्तर के मानकों से नीचे चल रही है तो आप दूसरे देशों केउत्पादनके आयात पर टैक्स या ड्यूटी लगा कर उनको अपने देश में आने से रोक सकते हो |

येरियायतें जो अविकसित देशों को दी गईं; विकसित देशों को मंजूर नहीं थीं | विकसित देश ये कहते थे कि अगर आपने कच्चा माल विकसित देशों को भेजा है तो उसी कच्चे माल को प्रोसेस कर के अगर विकसित देश वापिस भेजता है तो आप उस पर टैरिफ नहीं लगा सकते, भले ही इससे आपके देश की प्रोसेसिंग क्रिया पर प्रभाव पड़ता हो | अर्थात् आप कॉफ़ीबींस विकसित देश को भेजते हो और वहां से पिसी हुई कॉफ़ी प्रोसेस हो कर डिब्बा बंद आपके देश में वापिस आती है तो उस पर टैक्स नहीं लगाओगे | न ही आप विकसित देशों से भेजे गए सौन्दर्य उत्पादन अर्थात् सुर्खी-बिंदी, खुशबूदार तेल या अन्य ऐसी वस्तुएं ये कह कर देश में आने से रोकोगे कि मुश्किल तरीके से कमाई गई विदेशी मुद्रा हम इन वस्तुओं पर नहीं खर्च कर सकते क्योंकि बैलेंस ऑफ़ पेमेंट आपके देश की समस्या है न कि विकसित देशों की |

गैट फेल क्यों हुई

अमेरिका असल में आई.टी.ओ.बनाना चाहता था जो अस्तित्व में नहीं आ सकी| 1934 मेंप्रेज़िडेंटको मिले अधिकारों के अधीन प्रेज़िडेंट को दूसरे देशों के साथ मशवरा करके टैरिफ घटाने के यत्नों के लिए एक संस्था बनाने का अधिकार था| गैट तो अमेरिका की मजबूरी थी| गैट तो समूचे देशों का एक व्यापक समझौता था| दूसरा, जिन आर्थिक कारणों की वजह से जर्मनी का औद्योगिक और आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाना था, उन कारणों पर अमेरिका कब्ज़ा करना चाहता था जो I.T.O. में तो संभव थे परन्तु गैट में नहीं थे |

1945 में यू.एस.संसद की तरफ से (Reciprocal Trade Agreements Act) की मियाद बढ़ाने के पश्चात् यू.एन.ओ. में एक इकनोमिक और सोशल कौंसिल (Eco-Soc) बनाई गई और 1946 में ट्रेड और एम्प्लॉयमेंटके बारे में लंदन में कांफ्रेंस का प्रारूप अमेरिका की ओर से तैयार करके पेश किया गया, जिसमेंI.T.O. को प्रमुख संस्था और गैट को उसका हिस्सा मानते हुए गैट को एक संस्था नहीं बल्कि एक साधारण इकरारनामे की तरह माना गया |1945 में प्रेज़िडेंट को मिले अधिकारों की मियाद की सीमा 1948 में ख़त्म हो गई | यू.एस.संसद ने आई.टी.ओ. को मंजूरी नहीं दी | आई.टी.ओ. ख़त्म हो गई और अमेरिका को जैसे ऊपर बताया गया है मजबूरन गैट समझौता करना ही पड़ा |

1 जनवरी 1948 को शुरू हुई गैट, जिसमें केवल 23 देश शामिल हुए, 1986 तक 38 वर्षों में केवल आठ बार ही बातचीत का दौर चला | 1986तक 102 देशगैट के सदस्य बन चुके थे | पर इसकी कमजोरियों, शिकायतों और खामियों के फल स्वरूप 1995 में इसकी जगह W.T.O.वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आ गई |

गैट की जो खामियां इसकी मौत का कारण बनीं वह थीं, गैट की धारणाएँ भले ही सारे सदस्य देश इसके पाबंद थे, फिर भी कुछ विकसित देशों को (Grandfather-Rights) (दादे वाले अधिकार) दिए गए थे जो थे तो अस्थाई पर वह चले आरहे थे | दूसरागैट की धाराओं को परिवर्तित करने का तरीका इतना पेचीदा था कि यह असंभव ही हो गया था | तीसरा, सदस्यों के आपसी विवादों को हल करने का कोई निश्चित तरीका या संस्थान नहीं था | कुछ देशों के साइड एग्रीमेंट्स थे जो गैट की धाराओं के अनुकूल नहीं थे | इस तरह के कई और मुद्दे थे | गैट अपने आप में इकलौता इकरारनामा नहीं था बल्कि 200 इकरारनामों का समूह था |

विश्व व्यापार संस्था (W.T.O.) का बनना

1979 में टोक्यो में हुई वार्ता तथा 1994 में उरुग्वे में शुरू हुई वार्तालाप के 15 वर्षों में यही मशवरे होते रहे कि विकसित देशों के विकासशील देशों के प्रति रवैये और उनकी उम्मीदों पर पूरा न उतर सकने की वजह सेगैटके इलावा कोई और संस्थान हो तथा एक संस्थाहो, न कि केवल एक इकरारनामा अस्तित्व में लाया जाए | नतीजतन 160 देशों की सदस्यता वाली यह संस्था विश्व के 95 % व्यापार के साथ संबंधित अस्तित्व में आई | इसकी मुख्य कार्यकारिणी मनिस्टरी कौंसिल है | इसकी ग्यारहवीं मीटिंग दिसंबर 2017 में हुई है |

क्योंकि 1994 मेंगैट को ख़त्म करने के फैसले के पश्चात् औरविश्व व्यापार संस्था (W.T.O.) के बनने से पहले खेती-बाड़ी के संबंध में समझौता (एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर) पर बिना सोचे समझे भारत के उस समय की सरकार के नुमायंदे ने दस्तखत कर दिए थे | यह समझौता विश्व व्यापार संस्था (W.T.O.) बनने पर 1 जनवरी 1995 को लागू हो गया | इस समझौते के अंतर्गत सदस्य देशों को तीन भागों में रखा गया | इन तीन भागों के रंग अलग-अलग थे | पहला भाग (नरघ) हरे रंग का | दूसरा नीले और तीसरा पीले रंग का | पहले हरे रंग के बॉक्स में वो देश शामिल किए गए, जिनकी कृषि उपज और उस पर दी गई सब्सिडी का व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ता | ये विकसित देश हैं, जिनको छूट दी गई कि जितना चाहें, जिस रूप में चाहें किसान को या उसकी उपज पर सब्सिडी दे सकते हैं |

दूसरे नीले रंग के बॉक्स में वह देश शामिल किए गए, जिनकी पैदावार पर पाबंदी लगाई जा सकती है और सब्सिडी कम की जा सकती है |

तीसरे पीले रंग के बॉक्स में वह देश हैं, जिनके कृषि उपज के मानकों को उत्साहित करने की ज़रुरत है|

नीले और पीले देशों की सब्सिडी पर नियंत्रण किया जाना है और कम की जा सकती है परंतु ग्रीन बॉक्स वाले विकसित देशों पर ये पाबंदी नहीं है | इसी कारण विकसित देश जैसे यू.एस.ए. और कैनेडा कुछ फसलों पर 80 फ़ीसदी, जापान 50 फ़ीसदी, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड 60 फ़ीसदी सब्सिडी दे रहे हैं | विकास कर रहे देशों पर सब्सिडी देने की पाबंदी लगाई जा रही है | W.T.O. के विकसित देश जिस में अमेरिका, कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से तीन गुना ज़्यादा है और आबादी अमेरिका की 33 करोड़, कैनेडा की 3 करोड़ 60 लाख और ऑस्ट्रेलिया की 2 करोड़ है | इसीलिए खाने वालों की गिनती खेती पैदावार से बहुत

कम है और वह अपने अनाज और इससे बनने वाली वस्तुएं बाहर की मंडियों में बेचना चाहते हैं |

इसीलिए विकसित देश चाहते हैं, जब उनका माल कम विकसित देशों में जाए, तो उन पर कोई टैक्स न लगे, कोई रूकावट न हो, कोई ज़्यादा पूछताछ न हो, एक स्थान पर ही कागज़ दिखा कर वे जहां चाहें, अपना माल बेच सकें | उनको इस काम से रोकने के लिए विकास कर रहे देशों के पास एकमात्र तरीका है कि वह बाहर से आने वाले माल पर टैक्स या ड्यूटी लगा दें ताकि देश में पैदा किए जा रहे माल या पैदा किए जा रहे अनाज से उसकी कीमत कम न हो जाए | इसके विपरीत विकसित देश फ्री मार्किट चाहते हैं | जिसकाW.T.O. के 33 विकास कर रहे देश मिल कर विरोध कर रहे हैं, जिसमे भारत और चीन शामिल हैं | किसी समय भारत इन 33 देशों का लीडर था |

एक और श्री जो" खेती-बाड़ी संबंधित समझौते" में शामिल की गई तथा जिस पर भारत ने बिना सोचे समझे 1994 में हस्ताक्षर कर दिए, वह है सरकार कि ओर से कृषि उपज पर10 प्रतिशत से अधिक खरीद पर पाबंदी | यह इकरारनामा भारत पर पाबंदी लगाता है वह अपने देश की कुल पैदावार का कीमत के तौर पर अथवा वजन के तौर पर 10 फ़ीसदी से अधिक सरकारी खरीद नहीं करेगा |

1994 में उरुग्वे में हुई बातचीत के समयभारत की ओर से हस्ताक्षर करते समय भारत 1986-88 के आंकड़ों को आधार बना रहा था तथा तीसरे शैड्यूल के फार्मूले को समझ नहीं रहा था पर क्योंकि भारत इस इकरारनामे पर हस्ताक्षर कर चुका है इसे विकसित देश, भारत को, इसका पाबंद बताते हुए इस पर अभ्यास करनेके लिए दबावडाल रहे हैं |

दुर्भाग्य से हमारे सियासतदान यह नहीं समझपाते कि जब वह अमेरिका जाते हैं तो उनका इतना स्वागत क्यों किया जाता है | 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंदर मोदी अमेरिका गए तो उनका भरपूर स्वागत किया गया परआनेसे पहले प्रधानमंत्री को मना लिया गया कि वह एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (A.O.A.) की शर्तों का पालन करेंगे, जिसमें सब्सिडी ख़त्म करना, सरकारी खरीद बंद करना और विकसित देशों को फ्री मार्किट देना शामिल है | प्रधानमंत्री ने केवल ये विनती की कि हमें 2019 तकका समय दिया जाए तब तक वह अपने देश में इन शर्तों को लागू करने का प्रबंध और वातावरण पैदा कर लेंगे | इसके जो भयानकनतीजे निकलने वाले हैं, उसका कयास लगाया जा सकता है | इसी कारण किसान संघर्ष चल रहा है |

कौन नियंत्रित कर रहा है अर्थ चारे को ?

अर्थ चारा विश्व भर में वस्तुओं या सेवाओं के लेन-देन की एक व्यवस्था है जो सोने, चांदी वमुद्रा के माध्यम द्वारा चलती है | विश्व भर की मुद्राओं में यू.एस. डॉलरउपप्रधान है| क्यों?

यू.एस. डॉलर का मूल्य क्यों बढ़ रहा है ? उसके मुकाबले में रूपया नीचे को फिसल रहा है, सारे विश्व कि मुद्राओं का मूल्यांकन डॉलर के साथ क्यों होता है और डॉलर की कीमत ऊपर-नीचे होने से बाज़ार क्यों हिल जाता है, और अर्थ चारे को कौन नियंत्रित कर रहा है |

किसान क्यों मर रहा है ? मज़दूर की हालत इतनी क्यों बुरी/दयनीय है ? गरीब क्यों गरीब है ? गरीब-अमीर का अंतर क्यों बढ़ रहा है ? इन सब का जवाब ढूँढने के लिए हमें इसके बुनियादी कारणों और इसके पीछे प्रत्यक्षव अप्रत्यक्ष कौन सी स्थितियां और कौन सी शक्तियां हैं जो अर्थ चारे को नियंत्रित कर रही हैं, का जायज़ा लेना ज़रूरी हो जाता है |

यह है तो लंबी बहस| फिलहाल, इसपूंजीवादी व्यवस्था में रहते कौन सी घटनाओं ने, विश्व भर के लोगों और विश्व भर के अर्थ चारे, जिसमेंखेतीबाड़ी भी शामिल है, पर प्रभाव डाला, का जायज़ा लिया जाए |

आम तौर पर हम अमेरिका और भूमंडलीकरण (Globalization) कोदोष देते रहे हैं | पर अब अमेरिका भी भूमंडलीकरण से तंग आ चुका है | क्या अमेरिका और उसकी अर्थ व्यवस्था को भी कोई और शक्तियां चला रही हैं, वहां के शासक, अध्यक्ष सहित, एक मोहरा बने हुए हैं |

क्या कारण थे कि अमेरिका के चारों अध्यक्षों पर गोलियों से हमले हुए, तीनमारे गए, एक बच गया | दो को ज़हर दिया गया| एक मारा गया, एक बच गया | क्यों? कौन थे मारने और मरवाने वाले |

यह जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा | क्या उनका विश्व की अर्थ व्यवस्था के साथ कोई संबंध था?

जब मुद्रा नहीं थी तब वस्तुओं के अदला-बदली के साथ व्यापार होता था | फिर उसके बाद सिक्के व सोने की मोहरें व्यापार का माध्यम बने और इनको एक जगह से दूसरी जगह ले कर जाना मुश्किल भी था और लूट-मार के डर से जोखिम भरा भी था | इसमें से आर्थिक आदान-प्रदान की एक नई प्रथा निकली | जिसको हुंडी व्यवस्था कहा जाता था |

यह हुंडी व्यवस्था क्या है ? हुंडी का कारोबार धनाड्य व्यापारियों ने शुरू किया था जिनका एक-दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध और विश्वास बना हुआ था | वह सिक्के या मोहरें भेजने की बजाय एक पर्ची लिख कर भेजते थे जिसे हुंडी कहा जाता था | जबवह पर्ची दूसरे पक्ष को दी जाती तो उसके बदले वह पर्ची देने वाला अगर धान की मांग करे तो उसे सिक्के या मोहरें जितने बनती हों, दे दी जाती थीं | हुंडी की भी 6 किस्में थीं | दर्शनी हुंडी यानि हुंडी देखते ही तुरंत भुक्तान करना या माल देना | मियादी हुंडी यानि हुंडी में लिखी मियाद में पैसे या माल देना | जोखिम हुंडी यानिसशर्त हुंडी जिसमें कोई शर्त लिखी होती थी आदि | यह एक स्वीकार्य तरीका था | परंतु जब से बैंक अस्तित्व में आए हैं तो मुद्रा नोट चल पड़े| यह तरीका किसी हद तक बंद हो गया| इसका स्थान मुद्रा नोटों ने ले लिया |

इसी प्रकार इंग्लैंड में ये काम वहांका सुनार घराना, जो सदियों से सोने का भंडारी था, कर रहा था |वह इसी प्रकार की पर्चियां देते थे और सरकार को भी कर्ज़ देते थे | 1688 में गोल्डन इंकलाब के बाद इंग्लैंड फ्रांस के साथ युद्धमें उलझ गया औरदेश इतनाकर्ज़दार हो गया कि सुनार ये बोझ नहीं उठा सकते थे | विलियम पीटरसन जो उस समय का बहुत बड़ा धनी, पढ़ा-लिखा, बहुत समझदार और सरकार में असर-रसूख रखने वाला शख्स था, ने यह खोज की एक बैंकिंग कंपनी बनाई जाए जो लोगों को अपने शेयर बेच कर पैसे इकट्ठे करे और उस कंपनी को मुद्रा नोट छापने का अधिकार दिया जाए | इस प्रकार सरकारी आदेशों के अधीन एक प्राइवेट कंपनी को बैंक ऑफ़ इंग्लैंड खोलने का अधिकार 1694 में मिला | धीरे-धीरे ये कंपनी बहुत ताकतवर हो गई क्योंकि छापे गए मुद्रा नोट इस कंपनी की मलकीयत थे और बैंक ऑफ़ इंग्लैंड (एक प्राइवेट कंपनी) सरकार को नोट छाप कर ब्याज पर देती थी | सरकार इन पैसों के साथ अपना काम, लोगों का और व्यापारियों का कर्ज़ मोड़ने में तो कामयाब हो गई पर खुद बैंक की कर्ज़दार हो गई |

इस संबंध में जर्मनी का एक घराना रोथ्सचाइल्ड (Rothschild) नाम से पुकाराजाता है, का ज़िक्र ज़रूरी है | इस घराने का जर्मनी से शुरू होकर दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों पर कब्ज़ा है| पूरी दुनिया में जितना पैसा है उसका 80 फ़ीसदी इन के बैंकों में जमा है | वर्ष2000तक 7 देश, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, सूडान, लिबिया, क्यूबावउत्तरीकोरिया ही बचे थे जहां इनके बैंक नहीं थे | अब केवल तीन देश ही हैं | क्यूबा, उत्तरी कोरिया व ईरान | रोथ्सचाइल्ड के साथ अमेरिका के दो घराने राकफैलर तथा मॉर्गन शामिल हैं |

बैंक ऑफ़ इंग्लैंड पररोथ्सचाइल्ड का पूरा कब्ज़ा हो गया | यह कंपनी नोट (पौंड) छाप कर सरकार को ब्याज पर देती थी तथा सरकारी व प्राइवेट कारोबार इस कंपनी द्वारा छापे गए उधार लिए गए नोटों के साथ होता था |

इंग्लैंड की सरकार ने अमेरिका, जो उस समय उनकी कॉलोनी थी, में जा कर बसे इंग्लैंड वासियों व अन्य यूरोपीय देशों से गए वहां बसे लोगों को हुक्म दिया कि वह भी अपना कारोबार बैंक ऑफ़ इंग्लैंड से पौंड ब्याज पर ले कर उसके द्वारा करें | अमेरिका वासियों ने ये करने से इंकार कर दिया और यह भी अमेरिकाकी इंग्लैंड से आज़ादी का एक कारण माना जाता है |

अमेरिकाके आज़ाद होने के बाद बैंक ऑफ़ इंग्लैंड के मालिक अमेरिका पहुँच गए और वहां बैंक ऑफ़ यू.एस.ए. खोलने की इजाज़त ले ली और प्रथम बैंक ऑफ़ यू.एस.ए. खोलकर, नोटछापने शुरू कर दिए, जो अमेरिका की सरकार को ब्याज पर लेने पड़ते थे |

1791 में बने इस बैंक की मंजूरी 20 वर्ष तक थी जिसके ख़त्म होने पर बैंक ने दोबारा मांग की| यू.एस.ए. की संसद ने ये मांग मानने में आनाकानी की तो मेयर रोथ्सचाइल्ड (Mayor Rothschild) ने धमकी दी कि, "या तो बैंक ऑफ़ यूनाइटेड स्टेट्स की मियाद बढ़ाने की अर्ज़ी मंजूर की जाए या फिर अमेरिका अपने आप को एक भयानक युद्ध की लपेट में पाएगा|" (1)

संसद ने फिर भी यह महसूस करते हुए कि इस बैंक ने देश की आर्थिकता को तबाह कर दिया है और अपने-आप को धनी बना लिया है, मंजूरी देने से इंकार कर दिया | इसके उपरांत रोथ्सचाइल्ड नेइंग्लैंड के प्रधानमंत्री स्टेंसरपरसवैल (Stencer Perceval) पर दबाव डाला कि वह अमेरिका के खिलाफ दोबारा युद्ध शुरू करे और अमेरिका को दोबारा अपनी कॉलोनी बना ले | पर इंग्लैंड पहले ही नेपोलियन के साथ युद्ध में उलझे रहने के कारण दोबारा युद्ध करना वाजिब नहीं समझता था | प्रधानमंत्री ने युद्ध करने से इंकार कर दिया तो प्रधानमंत्री का क़त्ल करा दिया गया और उसका उत्तराधिकारी उस शख्स को बनाया गया जो कि कॉलोनियों को दोबारा कब्ज़े में लेने के हक़ में था| (2) उसके क़त्ल के कई अन्य कारण गिने जा रहे हैं | 2012के एक अध्ययन के अनुसार उसकी मौत को लिबरपूल के व्यापारियों के संघ की साज़िश के साथ जोड़ता है |

कहा जाता है कि रोथ्सचाइल्ड की बीवी जो 5 लड़कों और 5 लड़कियों की माँ थी, ने एक बार कहा था " यदि मेरे लड़के ये चाहें कि युद्ध न हो तो युद्ध नहीं होगा |"

1812 में अमेरिका के खिलाफ जो जंग हुई उसे भी बैंकों की ओर से योजनाबद्ध किया बताया जाता है| भले ही अमेरिका और कैनेडा ये जंग जीत गए थे फिर भी उन्हें प्राइवेट बैंक को मंज़ूरी देने के लिए मजबूर होना पड़ा था और दूसरा बैंक ऑफ़ यू.एस.ए. अस्तित्व में आया |

इस का विरोध प्रेज़िडेंट एंड्रयू जैक्सन ने किया | फिर भी बैंक वालों ने संसद के सदस्यों पर अपना प्रभाव

का इस्तेमाल कर के संसद से मंज़ूरी ले ली |एंड्रयू जैक्सन को मारने के लिए एक शख्स को दो पिस्तौल दे कर भेजा गया पर जैक्सन का सौभाग्य था कि दोनों कारतूस फेल हो गए | प्रेज़िडेंटजैक्सन बच गए | क्योंकि कंपनी को पहले मिली मंज़ूरी की मियाद अभी 5 वर्ष बाकी थी इस लिए यह कंपनी चलती रही | 1850 में प्रेज़िडेंट टेलरके अध्यक्ष बनने के 16 महीनों बाद हीज़हरीला दूध पीने से मौत हो गई |उन्होंने कहा था कि, " नेशनल बैंक (असल में प्राइवेट बैंक) का समय ख़त्म हो चुका है यह मेरे काल में फिर से जीवित नहीं हो सकेगा|"

क्योंकि दूसरे बैंक की मियाद ख़त्म होने से और सरकार की ओर से मंज़ूरी न दिए जाने की वजह से यह बैंक एक साधारण बैंक की तरह काम करने लग गया था और 5 वर्ष में फेल हो गया था तथा National Bank पहले की तरह प्राइवेट बैंक जिसको नोट छापने का अधिकार हो, की मांग की जा रही थी जिसका प्रेज़िडेंट टेलर विरोध कर रहे थे|

प्रेज़िडेंट टेलरके बाद बने प्रेज़िडेंट जेम्स बुकानन (James Buchanan) ने 1857 में भयानक आर्थिक हालात पर काबू पाने के लिए हुक्म किया कि बैंक अपनी वित्त से बाहर जा कर कर्ज़ न दें और बैंक की वित्त उतनी ही होगी जितनी सरकार की माली हैसियत होगी तथा मुद्रा नोट इस सीमा से अधिक नहीं छापे जाएँगे तो प्रेज़िडेंट के एक डिनर में ज़हर डाला गया जिससे 38 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई पर प्रेज़िडेंट बच गए |

18 सौ साठवें मेंअमेरिका के लगभग दो भाग हो गए थे | इब्राहिम लिंकन की गुलामों को आज़ाद करने की नीति के विरोध में कुछ प्रान्तों ने देश से अलग होने का ऐलान कर दिया था तो बैंक वालों ने लिंकन को कहा कि युद्ध कर के अलग हुए प्रान्तों को अपने देश के साथ मिलाना चाहते हो तो हम जितने चाहो पैसे देकर तुम्हारी सहायता करने को तैयार हैं पर 30 फ़ीसदी ब्याज लेंगे, तो लिंकन ने कहा कि "मैं श्वेतों को बैंकों के गुलाम बना कर अश्वेतों को आज़ाद करने को तैयार नहीं हूँ | मैं अपना रस्ता खुद खोजूंगा |"

लिंकन ने अपनी अध्यक्षता के अधिकारों का प्रयोग करते हुए हुक्म दे दिया कि आगे से डॉलर सरकार खुद छापेगी, और डॉलर छापने शुरू कर दिए जिन्हें ग्रीन बैंक (Green Bank) डॉलर कहा गया |

सैंट्रल बैंकों ने इसे अपने अस्तित्व पर खतरे का निशान समझा और तुरंत बयान दिया :

"यदि यह शैतानीति, जिसका जन्म उत्तरी अमेरिका में हुआ है स्थापित हो गई तो सरकार बिना किसी कीमत के अपनी मुद्रा पैदा कर लेगी और बिना कर्ज़ लिए अपने कर्ज़ अदा कर देगी और अपने कारोबार के लिए आप ही मुद्रा पैदा कर लेगी | इस तरह सरकारें इतिहास में किसी पहली मिसाल के बगैर खुद ही विकसित हो जाएँगी | इस किस्म के देश को तबाह कर देना चाहिए नहीं तो यह हर देश की बादशाहत को तबाह कर देगा |"

यह एपोर्ट लंदन टाइम्स के रिपोर्टर ने दी थी |

पर ग्रीन बैंक डॉलर लिंकन की सरकार द्वारा छापे गए चलते रहे | सरकार अपना खर्च बिना किसी बैंक के कर्ज़दार हुए पूरे करने लग गई|

14 अप्रैल, 1865 को इब्राहिम लिंकन का क़त्ल कर दिया गया | ग्रीनबैंक डॉलर के खिलाफ लड़ाई जारी रही | 1872 में न्यूयार्क के बैंकों ने अमेरिका में स्थित अपनी शाखाओं को लिखा कि वह उन सभी अख़बारों की वित्तीय सहायता करें जो ग्रीन बैंक डॉलर का विरोध करें | फ्रांस और इंग्लैंड ने अलग हुई रियासतों की मदद करनी शुरू कर दी परन्तु रूस के Czar ने अपना समुद्री बेड़ा भेज कर उनको उलझा लिया | लिंकन द्वारा शुरू की गई जंग तो जीत ली गई पर ग्रीन बैंक डॉलर लिंकन के बाद बंद कर दिए गए |

इब्राहिम लिंकन ने कहा था, " मेरे दो बड़े दुश्मन हैं | एक दक्षिणी आर्मी जो मेरे सामने है, दूसरे बैंकों के मालिक जो मेरे पीछे हैं | इन दोनों में से मेरे पिछली तरफ वाले ज़्यादा खतरनाक हैं |"

लिंकन की मौत के बाद 1878 में प्रेसीडेंट एंड्रयू जोनसन (Andrew Johnson) के काल के दौरान रोथ्सचाइल्ड बैंक ने मुद्रा छापने के अधिकार फिर से प्राप्त कर लिए जिस की उसके बाद बने प्रेज़िडेंट जेम्स गारफील्ड (James Garfield) व प्रेज़िडेंट विलिअम मैकिनले (William Mckinley) ने विरोधता की | दोनों गोलियों के शिकार हुए| परन्तु कुछ इतिहासकार उन दोनों की मौत को मारने वाले के निजी हितों के साथ जोड़ते हैं और कुछ उनकी बैंकों के प्रति विरोधता के साथ |

इस सारे इतिहास में जो बदलाव का कारण बनावह वुडरो विल्सन (Woodrow-Wilson) के अध्यक्ष बनने के बाद 1913 मेंहुआ| यूरोपके प्राइवेट बैंकों के मालिक खास कर इंग्लैंड के रोथ्सचाइल्ड और जर्मनी के वारबर्गस अपने अमेरिका के साथियों के साथ जॉर्जिया के एक टापू पर गुप्त रूप से एकत्रित हुए और अमेरिका में तीसरा यू.एस. बैंक खोलने की स्कीम बनाई जिसका नाम उसे सरकारी रंग देने के लिए यू.एस. फैडरल रिज़र्व रखा तथा वुडरो विल्सन को इस की मंज़ूरी के लिए मजबूर किया | इस प्राइवेट बैंक ने भी बैंक ऑफ़ इंग्लैंड और यू.एस.बैंक, पहले यू.एस.बैंक जैसे डॉलर छाप कर लोगों तथा सरकार को ब्याज पर देने थे |

वुडरो विल्सन मान गया और फैडरल रिज़र्व 1913 में अस्तित्व में आ गया | मुद्रा नोट छापने का काम अब इसी बैंक को मिल गया परन्तुपहले विश्व युद्ध के दौरान विल्सन को इस बैंक का कड़वा तजुर्बा हुआ | जंग ख़त्म होने पर 1919 में वुडरो विल्सन को यह कहना पड़ा:

"मैं बहुत नाखुश इन्सान हूँ| मैंने न चाहते हुए अपने देश को तबाह किया है | एक महान बड़े औद्योगिक राष्ट्र को एक उधार लेने वाली प्रणाली (फैडरल बैंकों से मुद्रा) नियंत्रित कर रही है | हमारी अपनी

स्वतंत्र इच्छा वाली सरकार नहीं हैं| न ही अपने विचारोंतथा बहुमत के सहारे सरकार चला रहे हैं | हम इस छोटे से समूह के लोगों की राय और दबाव में काम करते हैं |"

जर्मनी में भी इसी तरह का प्राइवेट बैंक नोट छाप रहा था और सरकार इसकी कर्ज़दार थी | नोटों का ब्याज सरकार पर भरी बोझ था | जर्मनी में जब नेशनल सोशलिस्ट सत्ता में आए उन्होंने एक बैंक नेशनलाईज़ कर लिया और नोट छापने शुरू कर दिए जिससे जर्मनी न केवल कर्ज़ मुक्त हो गया बल्कि यूरोप की एक बड़ी आर्थिक व औद्योगिक ताकत बं गया | जर्मनी के सिक्के के मुकाबले इंग्लैंड के पौंड की कीमत गिरने लगी | चर्चिल ने जर्मनी को तबाह करने के लिए जंग का माहौल बनाना शुरू कर दिया और यह कहता था कि मैं जर्मनी को जंग के लिए मजबूर कर दूंगा | दूसरे विश्व युद्ध ने इंग्लैंड को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया | युद्ध के दौरान भी चर्चिल को बैंक ऑफ़ इंग्लैंड की मिन्नतें करनी पड़ती थीं | आखिर युद्ध ख़त्म होने के बाद और चर्चिल के बाद बने प्रधान मंत्री एटली ने बैंक ऑफ़ इंग्लैंड को 1946 में नेशनलाईज़ कर लिया |

अबशामत/बारी आई प्रेज़िडेंट जान एफ कैनेडी की | कैनेडी जानता था कि एंड्रयू जैक्सन को पहले बैंक की विरोधता के लिए कैसे, कितनी जोखिम भरी मेहनत करनी पड़ी थी | उसेपता था कि उसके बाद हुए प्रेसिडेंट्स पर हमले किस तरह हुए | फिर भी अमेरिका की आर्थिकता को, जर्मनी व इंग्लैंड के बैंकों को नेशनलाइज़ करके कितनी लाभदायक स्थिरता मिली थी, के मद्देनज़र कैनेडी ने फेड्रल रिज़र्व को नेशनलाइज़ करने की बजाय, अपने अध्यक्ष होने के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आदेश नंबर : 11110 पारित करके यू.एस.ए.खज़ाना शासकों को सरकारी मुद्रा छापने के हुक्म दे दिए , जिन्हें यूनाइटेड स्टेट नोटों का नाम दिया गया | बताया जाता है कि करीब आधा अरब सरकारी डॉलर छप कर बाज़ार में आ गए | सरकार की फेड्रल बैंक पर निर्भरता ख़त्म होती दिखाई दी | नई मुद्रा को सरकार के पास पड़ी चांदी की सपोर्ट दी गई थी |

नई सरकारी मुद्रा की बढ़ती लोकप्रियता देख जान एफ कैनेडी का क़त्ल करवा दिया गया और क़त्ल के दूसरे दिन ही उपाध्यक्ष जोनसन ने अध्यक्ष की कुर्सी सँभालते ही सरकारी नोट बंद कर दिए तथा जो नोट बाज़ार में थे वो बदल दिए गए | नतीजतनइन बैंक मालिकों की ताकत इतनी बढ़ गई कि वे सरकारें गिराने और बनाने के काबिल हो गए|

भारत में भी 1898 में, बैंक ऑफ़ इंग्लैंड के एक निदेशक, सर एडवर्ड ह्म्ब्रो, जोभारतीय मुद्रा समिति (Fowler Committee) के भी सदस्य थे, ने भारत में, बैंक ऑफ़ इंग्लैंड की तर्ज़ पर एक सैंट्रल बैंक, जिसको नोट छापने का अधिकार हो, बनाने की कोशिश की थी | इस प्रस्ताव का सरकारी स्तर परविचार किया गयाऔरभारत के तीन बड़े बैंकों के एकीकरण के बारे में सोचा गया परन्तु मुंबई के चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स ने

इसकी विरोधता की तथालैफ्टिनेंट गवर्नर ने बैंक ऑफ़ इंग्लैंड जैसे बैंक की जगह सैंट्रल बैंक बनाने का फैसला लिया और नियंत्रण सरकार के हाथ में रखा, जो बाद में ये रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया बना जिस पर भारत सरकार का सम्पूर्ण अधिकार है, किसी प्राइवेट बैंक अथवा रोथ्सचाइल्ड का नहीं |

भारत में बैंक ने रोथ्सचाइल्ड की संस्था में से, लिए गए एक निदेशक को, जो कई देशों की सरकारों को दिए गए कर्ज़, जो सरकारें भी चुका नहीं सकी थीं, को दोबारा संचालन करने का कार्य संभालते रहे हैं, को भारत में औद्योगिक घरानों को दिए गए या देने वाले कर्ज़ का कार्य सौंपा गया है|

1968 में भारत के 14 प्राइवेट बैंक नेशनलाइज़ कर दिए गए थे | उसके बाद 1991 में उदारीकरण के नए चले दौर में कई प्राइवेट बैंक खुल गए जैसे कि एक्सिस बैंक (1993), एच.डी.एफ.सी. बैंक(1994), आई.सी.आई.सी.आई. बैंक(1990), इंडसइंड बैंक(1994), यैस बैंक (2004), कोटक महिंद्रा बैंक (2001), आई.डी.एफ.सी.बैंक (2015), बधन बैंक (2015) व तेरह प्राइवेट बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, वह भी चल रहे हैं |

जोगिन्द्रसिंह तूर
एडवोकेट, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़
530, सेक्टर33-बी, चंडीगढ़
98151-33530

---

(1) माइकलरिवरो (Michael Rivero)

(2) माइकलरिवरो (Michael Rivero)

(3) आर्टिकल ऑफ़ एग्रीमेंट ऑफ़ दी इंटरनेशनल मोनेटरी फंड जुलाई 22, 1944

(4) आर्टिकल ऑफ़ एग्रीमेंट ऑफ़ दी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (वर्ल्ड बैंक) (ब्रैटन वुडज़ एग्रीमेंटस)

(5) लीगल प्रोब्लम्स ऑफ़ इंटरनेशनलइकोनोमिस रिलेशनस लेखक जॉन एच. जैक्सन, विलिअम जे. डैवी, एलन ओ. साइकस |

एम.एस.पी. का विवरण 2009-2013

MINIMUM SUPPORT PRICES

(According to Crop Year) (As on 26.12.2012)

(Rs. per quintal)

Sl. No.	Commodity	Variety	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	(#) increase in MSP 2011-12 over 2010-11	2012-13	(#) increase in MSP 2012-13 over 2011-12
	KHARIF CROPS								
1	PADDY	Common	850$	950$	1000	1080	80(8.0)	1250	170(15.7)
		Grade 'A'	880$	980$	1030	1110	80(7.8)	1280	170(15.3)
2	JOWAR	Hybrid	840	840	880	980	100(11.4)	1500	520(53.1)
		Maldandi	860	860	900	1000	100(11.1)	1520	520(52.0)
3	BAJRA		840	840	880	980	100(11.4)	1175	195(19.9)
4	MAIZE		840	840	880	980	100(11.4)	1175	195(19.9)
5	RAGI		915	915	965	1050	85(8.8)	1500	450(42.8)
6	ARHAR(Tur)		2000	2300	3000¶	3200¶	200(6.7)	3850	650(20.3)
7	MOONG		2520	2760	3170¶	3500¶	330(10.4)	4400	900(25.7)
8	URAD		2520	2520	2900¶	3300¶	400(13.8)	4300	1000(30.3)
9	COTTON	Medium Staple	2500*	2500*	2500*	2800*	300(12.0)	3600	800(28.6)
		Long Staple	3000**	3000**	3000**	3300**	300(10.0)	3900	600(18.2)
10	GROUNDNUT IN SHELL		2100	2100	2300	2700	400(17.4)	3700	1000(37.0)
11	SUNFLOWER SEED		2215	2215	2350	2800	450(19.1)	3700	900(32.1)
12	SOYABEEN	Black	1350	1350	1400	1650	250(17.8)	2200	550(33.3)
		Yellow	1390	1390	1440	1690	250(17.4)	2240	550(32.5)
13	SESAMUM		2750	2850	2900	3400	500(17.2)	4200	800(23.5)
14	NIGERSEED		2405	2405	2450	2900	450(18.4)	3500	600(20.7)
	RABI CROPS								
15	WHEAT		1080	1100	1120$	1285	165(14.7)	1350	65(5.05)
16	BARLEY *		680	750	780	980	200(25.6)	980	0(0.00)
17	GRAM		1730	1760	2100	2800	700(33.3)	3000	200(7.14)
18	MASUR (LENTIL)		1870	1870	2250	2800	550(24.4)	2900	100(3.57)
19	RAPESEED/MUSTARD		1830	1830	1850	2500	650(35.1)	3000	500(20.00)
20	SAFFLOWER		1650	1680	1800	2500	700(38.9)	2800	300(12.00)
21	TORIA		1735	1735	1780	2425	645(36.2)	2970	545(20.25)
	OTHER CROPS								
22	COPRA	Milling	3660	4450	4450	4525	75(1.7)	5100	575(12.7)
	(Calender Year)	Ball	3910	4700	4700	4775	75(1.6)	5350	575(12.0)
23	DE-HUSKED COCONUT (Calender Year)		988	1200	1200	1200	0(0.0)	1400	200(16.7)
24	JUTE		1250	1375	1575	1675	100(6.3)	2200	525(31.3)
25	SUGARCANE		81.18	129.84¤	139.12¤	145.00¤	5.88(4.2)	170.00¤	25(17.2)

\# Figures in brackets indicate percentage increase.

$ An additional incentive bonus of Rs. 50 per quintal was payable over the Minimum Support Price(MSP).

* Staple length (mm) of 24.5 - 25.5 and Micronaire value of 4.3 - 5.1

** Staple length (mm) of 29.5 - 30.5 and Micronaire value of 3.5 - 4.3

¶ Additional incentive at the rate of Rs. 500 per quintal of tur, urad and moong sold to procurement agencies is payable during the harvest/arrival period of two months.

¤ Fair and remunerative price.

जीरी की लागत कीमत 1757 2013-2014

Annexure-A

.reakup of the cost of cultivation per hectare of Paddy crop during 2013-2014 based on the data of 2012-13.

(A) Variable Costs	**Unit**	**Rate(Rs.)**	**Amount (Rs.)**
1. Preparation of land and sowing			
(i) Machine Labour	7 hrs.	550.00/hr.	3850.00
(ii) Human Labour	80 hrs.	191.00/day.	1910.00
(iii) Seed	25 kg.	40.00/kg.	1000.00
2. Irrigation			
(i) By T.W./canal	18 irrigation	Rs. 246/ irri.	4428.00
(ii) Human Labour	225 hrs.	191.00/day.	5371.88
3. Fertilizer			
(i) N=137 kg. @ 11.65/kg.			1596.05
(ii) P=57 kg. @ 46.17/kg.			2631.69
(iii) Zinc=25kg. @ Rs. 25/- kg.			625.00
(iv) Human Labour	20 hrs.	191.00/day.	477.50
4. Weedicides/Insecticides	Dose3lts/ha.@ Rs.200/-		600.00
Human Labour	10 hrs.	191.00/day.	238.75
5. Harvesting and Threshing (Manual)	200 hrs.	191.00/day.	4775.00
6. Misc. Charges (Human labour) (to bring seed, fertilizer and other agri. Inputs etc.	100 hrs.	191.00/day.	2387.50
Sub Total			**29891.37**
7. Interest on working capital @ 7.0% for Six months.			1046.20
Total A.(Variable cost)			**30937.57**
8.(B) Fixed Costs			
(i) Rental value of Own Land			25,000.00
(ii) Rent paid for leased in land			-
(iii) Land cesses & Taxes			-
(iv) Depreciation on implements & farm building.			500.00
(v) Interest on fixed capital @ 7.0% for Six months.			892.50
Sub Total : B			**26392.50**
9. Total Cost (A&B)			**57330.07**
10. Value of by-product.			-
11. Yield per hect. 44.20 qtls. (Triennium ending 2011-12)			-
12. Cost of Production per qtls.			1297.06
13. Management Charges weather risk incentive to cultivators @ 15% in the cost of production per qtl.			194.55
14. Transportation charges and other incidental charges			25.00
15. 20% Increased of last two years average of Cost of Production.	.		240.00
Total (Cost of Production per Qtl)			**1756.61**

Or say 1757.00

Paddy . MSP Rs 1310-00
MSP for 13-14 at-Page 64

बाजरे की लागत कीमत 1315 एम.एस.पी. 1250

Annexure-B

Breakup of the cost of cultivation per hectare of Bajra crop during 2013-2014 based on the data of 2012-13.

(A) Variable Costs	Unit	Rate(Rs.)	Amount (Rs.)
1. Preparation of land and sowing			
(i) Machine Labour	4 hrs.	550.00/hr.	2200.00
(ii) Human Labour	16 hrs.	191.00/day.	382.00
(iii) Seed	4 kg.	80.00/kg.	320.00
2. Irrigation			
(i) By T.W./canal	2 irrigation	Rs.246/ irri.	492.00
(ii) Human Labour	16 hrs.	191.00/day.	358.00
3. Fertilizer			
(i) N=23 kg. @ 11.65/kg.			267.95
(ii) Human Labour	4 hrs.	191.00/day.	95.50
4. Weedicides/Insecticides	-	-	-
Human Labour	-	-	-
5. Harvesting and Threshing	-	-	-
(i) Machine Labour	3 hrs.	550.00/hr.	1650.00
(ii) Human Labour	120 hrs.	191.00/day.	2865.00
6. Misc. Charges (Human labour) (to bring seed, fertilizer and other agri. Inputs etc.	40 hrs.	191.00/day.	955.00
Sub Total			**9585.45**
7. Interest on working capital @ 7.0% for Six months.			335.49
Total A.(Variable cost)			**9920.94**
8.(B) Fixed Costs			
(i) Rental value of Own Land			12,000.00
(ii) Rent paid for leased in land			-
(iii) Land cesses & Taxes			-
(iv) Depreciation on implements & farm building.			350.00
(v) Interest on fixed capital @ 7.0% for Six months.			432.25
Sub Total : B			**12782.25**
9. Total Cost (A&B)			**22703.19**
10. Value of by-product 54.24 qtls. @ Rs. 120/qtls.			6508.80
11. Yield per hect. 18.08 qtls. (Triennium ending 2011-12)			-
12. Cost of Production per qtls.			895.71
13. Management Charges weather risk incentive to cultivators @ 15% in the cost of production per qtl.			134.36
14. Transportation charges and other incidental charges			25.00
15. 20% Increased of last two years average of Cost of Production.			170.00
Total (Cost of Production per Qtl)			**1315.07**

Or say Rs. 1315.00

Bajra · MSP 1250 See Page 84

मक्की की लागत कीमत 1654एम.एस.पी. 1310

Annexure-C

Breakup of the cost of cultivation per hectare of Maize crop during 2013-2014 based on the data of 2012-13.

(A) Variable Costs	**Unit**	**Rate(Rs.)**	**Amount (Rs.)**
1. Preparation of land and sowing			
(i) Machine Labour	5 hrs.	550.00/hr.	2750.00
(ii) Human Labour	24 hrs.	191.00/day	573.00
(iii) Seed	20 kg.	70.00/kg.	1400.00
2. Irrigation			
(i) By T.W./canal	4 irrigation	Rs.246/ irri.	984.00
(ii) Human Labour	24 hrs.	191.00/day	573.00
3. Fertilizer			
(i) N=55 kg. @ 11.65/kg.	-	-	640.75
(ii) P=23kg @ Rs. 46.17/kg.	-	-	1061.91
(iii) Human Labour	4 hrs.	191.00/day	95.50
4. Weedicides/Insecticides			
Human Labour	4 hrs.	191.00/day	95.50
5. Harvesting and Threshing (Tractor & Thresher/Combine Harvester)			
(i) Machine Labour	5 hrs.	550.00/hr.	2750.00
(ii) Human Labour	112 hrs.	191.00/day	2674.00
6. Misc. Charges (Human labour) (to bring seed, fertilizer and other agri. Inputs etc.)	100 hrs.	191.00/day	2387.50
Sub Total (Variable Cost)			**15985.16**
7. Interest on working capital @7.0% for Six months.			559.48
Total A.			**16544.64**
8.(B) Fixed Costs			
(i) Rental value of Own Land			12000.00
(ii) Rent paid for leased in land			-
(iii) Land cesses & Taxes			-
(iv)Depreciation on implements & farm building.			350.00
(v) Interest on fixed capital @ 7.0% for Six months.			432.25
Sub Total : B			**12782.25**
9. Total Cost (A&B)			**29326.89**
10. Value of by-product 33.70 qtls. @ Rs. 60/qtl.			2022.00
11. Yield per hect. 22.44 qtls/hect. (Triennium ending 2011-12)			-
12. Cost of Production per qtls.			1216.80
13. Management Charges weather risk incentive to cultivators @ 15% in the cost of production per qtl.			182.52
14.Transportation charges and other incidental charges			25.00
15. 20% Increased of last two years average of Cost of Production.			240.00
Total (Cost of Production per Qtl)			**1654.32**

Or say Rs. 1654.00

MSP 1310-00 Page 66

कपास की लागत कीमत 3783 एम.एस.पी. 3600

Annexure-D

reakup of the cost of cultivation per hectare of Cotton crop during 2013-2014 based on the data of 2012-13.

(A) Variable Costs	Unit	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
1. Preparation of land and sowing			
(i) Machine Labour	6 hrs.	550.00/hr.	3300.00
(ii) Human Labour	40 hrs.	191.00/day.	995.00
(iii) Seed	20 kg.	75.00/kg.	1500.00
2. Irrigation			
(i) By T.W./canal	4 irrigation	Rs.246/ irri.	984.00
(ii) Human Labour	40 hrs.	191.00/day.	955.00
3. Fertilizer			
(i) N=73 kg. @ 11.65/kg.	-	-	850.45
(ii) P=46kg @ Rs. 46.17/kg.	-	-	2123.82
(iii) FYM=4 Trolly	-	-	1000.00
(iv) Zinc=25kg @ Rs 25/kg	-	-	625.00
(v) Human Labour	40 hrs.	191.00/day.	955.00
4. Weedicides/Insecticides			
Human Labour	3spray	@Rs.700/-spray	2100.00
5. Harvesting and Threshing (Tractor & Thresher/Combine Harvester)			
(i) Machine Labour	-	-	-
(ii) Human Labour	500 hrs.	191.00/day.	11937.50
6. Misc. Charges (Human labour) (to bring seed, fertilizer, weedicides and other agri. Inputs etc.)	100 hrs.	191.00/day.	2387.50
Sub Total (Variable Cost)			**29673.27**
7. Interest on working capital @ 7.0% for Six months.			1038.56
Total A (Variable Costs)			**30711.83**
8.(B) Fixed Costs			
(i) Rental value of Own Land			25000.00
(ii) Rent paid for leased in land			-
(iii) Land cesses & Taxes			-
(iv) Depreciation on implements & farm building.			500.00
(v) Interest on fixed capital @ 7.0% for Six months.			892.50
Sub Total : B			**26392.50**
9. Total Cost (A&B)			**56065.77**
10. Value of by-product 30 qtls @ Rs. 50/qtl.			1500.00
11. Yield per hect. 19.87 qtls/hect.. (Triennium ending 2011-12)			-
12. Cost of Production per qtls.			2746.14
13. Management Charges weather risk incentive to cultivators @ 15% in the cost of production per qtl.			411.92
14. Transportation charges and other incidental charges			25.00
15. 20% Increased of last two years average of Cost of Production.		-	600.00
Total (Cost of Production per Qtl.)			**3783.06**

Or say Rs. 3783.00

3700
4057

गेहूँ की लागत कीमत 1613 एम.एस.पी. 1350

Annexure-A

Breakup of the cost of cultivation per hectare of Wheat crop during 2012-13 based on the data of 2011-12.

(A) Variable Costs	Hrs.	Rate(Rs.)	Amount (Rs.)
1. Preparation of land and sowing			
(i) Machine Labour	10 hrs.	525.00/hr.	5250.00
(ii) Human Labour	40 hrs.	179.00/day.	895.00
(iii) Seed	125 kg.	24.00/kg.	3000.00
2. Irrigation			
(i) By T.W./Canal(irrigation)	5 irrigation	Rs.200/- per irri.	1000.00
(ii) Human Labour	75 hrs.	179.00/day.	1678.13
3. Fertilizer			
(i) N=150 kg. @ 11.54/kg.			1731.00
(ii) P=60 kg. @ 36.78/kg.			2206.80
(iii) K=30kg. @ 26.50/kg			795.00
(iv) Zinc=25kg. @ Rs. 25/- kg.			625.00
(v) Human Labour	12 hrs.	179.00/day.	268.50
4. Weedicides/Insecticides (Including Human Labour)			2000.00
5. Harvesting and Threshing (Tractor & Thresher)			
(i) Machine Labour (Threshing)	6 hrs.	850.00	5100.00
(ii) Human Labour	160 hrs.	250/Day	5000.00
6. Misc. Charges (Human labour) (to bring seed, fertilizer and other agri. Inputs etc.)	100 hrs.	179.00/day.	2237.50
Sub Total			**31786.93**
7. Interest on working capital @ 7.0% for 6 months			1112.54
Total A. (Variable Costs)			**32899.47**
8.(B) Fixed Costs			
(i) Rental value of Land			25,000.00
(ii) Rent paid for leased in land			-
(iii) Land cesses & Taxes			-
(iv) Depreciation on implements & farm building.			500.00
(v) Interest on fixed capital @ 7.0% for Six months.			892.50
Sub Total (B)			**26392.50**
Total Cost (A&B)			**59291.97**
9. Value of by-product 44.84qtls. @ 175.00/qtl.			7847.00
10. Yield per hect. 44.84 qtls.(Triennium ending 2010-11)			-
11. Cost of Production per qtl.			1147.30
12. Management Charges weather risk incentive to cultivators @ 15% in the cost of production per qtl.			172.10
13. Transportation charges and other incidental charges			25.00
14. 20% increased of last two years average cost of production.			269.00
Total (Cost of Production per Qtl)			**1613.40**

Or Say Rs.1613.00

MSP for 12-13 Rs 1350-00

See Pg 63

जौ की लागत कीमत 1462 एम.एस.पी. 980

Annexure-B

Breakup of the cost of cultivation per hectare of Barley crop during 2012-13 based on the data of 2011-2012.

(A) Variable Costs	Unit	Rate(Rs.)	Amount (Rs.)
1. Preparation of land and sowing			
(i) Machine Labour	10 hrs.	525.00/hr.	5250.00
(ii) Human Labour	40 hrs.	179.00/day.	895.00
(iii) Seed	100 kg.	26.00/kg.	2600.00
2. Irrigation			
(i) By T.W./canal	2 irrigation	Rs.200/- per irri.	400.00
(ii) Human Labour	32 hrs.	179.00/day.	716.00
3. Fertilizer			
(i) N=60 kg. @ 11.54/kg.			692.00
(ii) P=30 kg. @ 36.78/kg.			1106.40
(iii) K=15kg. @26.50/kg			397.50
(iv) Human Labour	8 hrs.	179.00/day.	179.00
4.Weedicides/Insecticides (Including Human Labour)			-
5.Harvesting and Threshing (Tractor & Thresher)			
(i) Machine Labour (Threshing)	5 hrs.	850.00	4250.00
(ii) Human Labour	160 hrs.	250/Day	5000.00
6. Misc. Charges (Human labour) (to bring seed, fertilizer and other agri. Inputs etc.)	60 hrs.	179.00/day.	1342.50
Sub Total			**22825.80**
7. Interest on working capital @ 7.0% for Six months.			798.90
Total A.(Variable cost)			**23624.70**
8.(B) Fixed Costs			
(i) Rental value of Land			15,000.00
(ii) Rent paid for leased in land			-
(iii) Land cesses & Taxes			-
(iv) Depreciation on implements & farm building.			350.00
(v) Interest on fixed capital @ 7.0% for Six months.			537.25
Sub Total : B			**15887.25**
Total Cost (A&B)			**39511.95**
9. Value of by-product 34.13qtls. @ 120.00/qtl.			4095.60
10. Yield per hect. 34.13 qtls. (Triennium ending 2010-11)			-
11. Cost of Production per qtl.			1037.69
12. Management Charges weather risk incentive to cultivators @ 15% in the cost of production per qtl.			155.65
13. Transportation charges and other incidental charges			25.00
14. 20% increased of last two years average cost of production.			244.00
Total (Cost of Production per Qtl)			**1462.34**

Or say Rs.1462.00

चने की लागत कीमत 3924 एम.एस.पी. 3000

Annexure-C

Breakup of the cost of cultivation per hectare of Gram crop during 2012-13 based on the data of 2011-2012 .

(A) Variable Costs	Unit	Rate(Rs.)	Amount (Rs.)
1. Preparation of land and sowing			
(i) Machine Labour	4 hrs.	525.00/hr.	2100.00
(ii) Human Labour	16 hrs.	179.00/day.	358.00
(iii) Seed	50 kg.	39.00/kg.	1950.00
2. Irrigation			
(i) By T.W./canal	1 irrigation	Rs.200/- per irri.	200.00
(ii) Human Labour	12 hrs.	179.00/day.	268.50
3. Fertilizer			
(i) N=15 kg. @ 11.54/kg.			173.00
(ii) P=40 kg. @ 36.78/kg.			1471.20
(iii) Human Labour	4 hrs.	179.00/day.	89.50
4. Weedicides/Insecticides (Including Human Labour)			-
5. Harvesting and Threshing (Tractor & Thresher)			
(i) Machine Labour (Threshing)	3 hrs.	850.00	2550.00
(ii) Human Labour	56 hrs.	250/Day	1750.00
6. Misc. Charges (Human labour) (to bring seed, fertilizer and other agri. Inputs etc.	12 hrs.	179.00/day.	268.50
Sub Total			**11178.80**
7. Interest on working capital @ 7.0% for Six months.			391.26
Total A.(Variable cost)			**11570.06**
8.(B) Fixed Costs			
(i) Rental value of Land			15,000.00
(ii) Rent paid for leased in land			-
(iii) Land cesses & Taxes			-
(iv) Depreciation on implements & farm building.			300.00
(v) Interest on fixed capital @ 7.0% for Six months.			535.50
Sub Total : B			**15835.50**
Total Cost (A&B)			**27405.56**
9. Value of by-product 9.19qtls. @160.00/qtl.			1470.40
10. Yield per hect.9.19 qtls. (Triennium ending 2010-11)			-
11. Cost of Production per qtl.			2822.11
12. Management Charges weather risk incentive to cultivators @ 15% in the cost of production per qtl.			423.32
13. Transportation charges and other incidental charges			25.00
14. 20% increased of last two years average cost of production.			654.00
Total (Cost of Production per Qtl)			**3924.42**

Or say Rs. 3924.00

तेल बीज की लागत कीमत 4192 एम.एस.पी. 2800

Annexure-D

Breakup of the cost of cultivation per hectare of Rabi Oil Seeds crop during 2012-13 based on the data of 2011-2012 .

(A) Variable Costs	Unit	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
1. Preparation of land and sowing			
(i) Machine Labour	10 hrs.	525.00/hr.	5250.00
(ii) Human Labour	40 hrs.	179.00/day.	895.00
(iii) Seed	5 kg.	43.00/kg.	215.00
2. Irrigation			
(i) By T.W./canal	2 irrigation	Rs.200/- per irri.	400.00
(ii) Human Labour	32 hrs.	179.00/day.	716.00
3. Fertilizer			
(i) N=80 kg. @ 11.54/kg.			923.20
(ii) P=30 kg. @ 36.78/kg.			1106.40
(iii) Human Labour	8 hrs.	179.00/day.	179.00
4.Weedicides/Insecticides (Including Human Labour)		500.00	500.00
5. Harvesting and Threshing (Tractor & Thresher)			
(i) Machine Labour (Threshing)	4 hrs.	850.00	3400.00
(ii) Human Labour	120 hrs.	250/Day	3750.00
6. Misc. Charges (Human labour) (to bring seed, fertilizer and other agri. Inputs etc.	48 hrs.	179.00/day.	1074.00
Sub Total			**18405.60**
7. Interest on working capital @ 7.0% for Six months.			644.20
Total A.(Variable cost)			**19049.80**
8.(B) Fixed Costs			
(i) Rental value of Land			20,000.00
(ii) Rent paid for leased in land			-
(iii) Land cesses & Taxes			-
(iv) Depreciation on implements & farm building.			450.00
(v) Interest on fixed capital @ 7.0% for Six months.			715.75
Sub Total : B			**21165.75**
Total Cost (A&B)			**40215.55**
9. Value of by-product			-
10.Yield per hect. 17.55 qtls. (Triennium ending 2010-11)			-
11. Cost of Production per qtl.			2291.48
12.Management Charges weather risk incentive to cultivators @ 15% in the cost of production per qtl.			343.72
13.Transportation charges and other incidental charges			25.00
14. 20% increased of last two years average cost of production.			532.00
Total (Cost of Production per Qtl)			**3192.21**

Or say Rs. 3192.00

केंद्र सरकार की ओर से एम.एस.पी. का विश्वास पत्र

F.No.6-3/2012-FES-ES(Vol.II)
Government of India
Ministry of Agriculture
(Department of Agriculture & Cooperation)
Directorate of Economics and Statistics

New Delhi-110001
Dated the 10th july,2013

The Secretary,
Department of Food & Civil Supplies
government of Haryana
Chandigarh-160001

Subject: Price Policy for kharif Crops for 2013-14 season-Fixation of Minimum Support Price.

The government of India has fixed the Minimum Support Price for the kharif Crops for 2013-14 season of Fair Average Quality as under:-

Commodity	**Variety**	**MSP for 2013-14 Season (Rs. Per quintal)**	
Paddy	Common	1310	
	Grade A	1345	
Jowar	Hybrid	1500	
	Maldandi	1520	
Bajra	-	1250	
Maize	-	1310	
Ragi	-	1500	
Tur (Arhar)	-	4300	
Moong	-	4500	
Urad	-	4300	
Groundnut-in-shell	-	4000	
Soyabean	Black	2500	

	Yellow	2560	
Sunflower Seed	-	3700	
Sesamum	-	4500	
Nigerseed	-	3500	
Cotton	Medium Staple	3700	
	Long Staple	4000	

ii) the prices for different varietal groups of rice be derived from the minimum support prices of paddy on the basis of hulling / milling ratios as well as the processing and incidental charges obtaining in different states;

iii) the prices of varieties of cotton grown in different states, other than those in the groups of short, medium, Long and Extra Long Cotton (kapas) be fixed keeping in view the normal market price differentials between Basic Staple Length of 24.5 mm to 25.5 mm and Micronaire value 4.3 – 5.1; Long Staple Length 29.5 mm -30.5 mm and Micronaire value of 3.5 – 4.3 and other varieties and technical parameters;

iv) In the case of cereals, FCI and other designated State Agencies may continue to provide price support to the farmers, as in the past. NAFED, CWC, NCCF and SFAC would continue to be the nodal agencies for procurement of pulses and oilseeds. NAFED would also continue to undertake procurement of cotton, in addition to Cotton Corporation of India (CCI). Losses if any, incurred by these

agencies on account of price support operations will be fully reimbursed by the government of India.

Sd/-
(S.k.Mukherjee)
Adviser

Copy for information to:

Chief Secretary,
Government of

True Copy

(Advocate)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—20 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—20

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092020-222038
CG-DL-E-27092020-222038

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 47] नई दिल्ली, रविवार, सितम्बर 27, 2020/ आश्विन 5, 1942 (शक)
No. 47] NEW DELHI, SUNDAY, SEPTEMBER 27, 2020/ASVINA 5, 1942 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 27*th September,* 2020/*Asvina* 5, 1942 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 26th September, 2020 and is hereby published for general information:—

THE ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) ACT, 2020

No. 22 of 2020

[26*th September,* 2020.]

An Act further to amend the Essential Commodities Act, 1955.

Be it enacted by Parliament in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

1. (*1*) This Act may be called the Essential Commodities (Amendment) Act, 2020. Short title and commencement.

(*2*) It shall be deemed to have come into force on the 5th day of June, 2020.

10 of 1955. **2.** In section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, after sub-section (*1*), the following sub-section shall be inserted, namely:— Amendment of section 3.

'(*1A*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*1*),—

(*a*) the supply of such foodstuffs, including cereals, pulses, potato, onions, edible oilseeds and oils, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, may be regulated only under extraordinary circumstances which may include war, famine, extraordinary price rise and natural calamity of grave nature;

(*b*) any action on imposing stock limit shall be based on price rise and an order for regulating stock limit of any agricultural produce may be issued under this Act only if there is—

(*i*) hundred per cent. increase in the retail price of horticultural produce; or

(*ii*) fifty per cent. increase in the retail price of non-perishable agricultural foodstuffs,

over the price prevailing immediately preceding twelve months, or average retail price of last five years, whichever is lower:

Provided that such order for regulating stock limit shall not apply to a processor or value chain participant of any agricultural produce, if the stock limit of such person does not exceed the overall ceiling of installed capacity of processing, or the demand for export in case of an exporter:

Provided further that nothing contained in this sub-section shall apply to any order, relating to the Public Distribution System or the Targeted Public Distribution System, made by the Government under this Act or under any other law for the time being in force.

Explanation.—The expression "value chain participant", in relation to any agricultural product, means and includes a set of participants, from production of any agricultural produce in the field to final consumption, involving processing, packaging, storage, transport and distribution, where at each stage value is added to the product.'.

Repeal and savings.

3. (*1*) The Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed. Ord. 8 of 2020.

(*2*) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Essential Commodities Act, 1955, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the said Act as amended by this Act. 10 of 1955.

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

MGIPMRND—859GI—27-09-2020.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—20 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—20

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092020-222039
CG-DL-E-27092020-222039

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 46] नई दिल्ली, रविवार, सितम्बर 27, 2020/ आश्विन 5, 1942 (शक)
No. 46] NEW DELHI, SUNDAY, SEPTEMBER 27, 2020/ASVINA 5, 1942 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 27*th September,* 2020/*Asvina* 5, 1942 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 24th September, 2020 and is hereby published for general information:—

THE FARMERS' PRODUCE TRADE AND COMMERCE (PROMOTION AND FACILITATION) ACT, 2020

No. 21 OF 2020

[24*th September,* 2020.]

An Act to provide for the creation of an ecosystem where the farmers and traders enjoy the freedom of choice relating to sale and purchase of farmers' produce which facilitates remunerative prices through competitive alternative trading channels; to promote efficient, transparent and barrier-free inter-State and intra-State trade and commerce of farmers' produce outside the physical premises of markets or deemed markets notified under various State agricultural produce market legislations; to provide a facilitative framework for electronic trading and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. (*1*) This Act may be called the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020. Short title and commencement.

(*2*) It shall be deemed to have come into force on the 5th day of June, 2020.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "electronic trading and transaction platform" means a platform set up to facilitate direct and online buying and selling for conduct of trade and commerce of farmers' produce through a network of electronic devices and internet applications, where each such transaction results in physical delivery of farmers' produce;

(*b*) "farmer" means an individual engaged in the production of farmers' produce by self or by hired labour or otherwise, and includes the farmer producer organisation;

(*c*) "farmers' produce" means,—

(*i*) foodstuffs including cereals like wheat, rice or other coarse grains, pulses, edible oilseeds, oils, vegetables, fruits, nuts, spices, sugarcane and products of poultry, piggery, goatery, fishery and dairy intended for human consumption in its natural or processed form;

(*ii*) cattle fodder including oilcakes and other concentrates; and

(*iii*) raw cotton whether ginned or unginned, cotton seeds and raw jute;

(*d*) "farmer producer organisation" means an association or group of farmers, by whatever name called,—

(*i*) registered under any law for the time being in force; or

(*ii*) promoted under a scheme or programme sponsored by the Central or the State Government;

(*e*) "inter-State trade" means the act of buying or selling of farmers' produce, wherein a trader of one State buys the farmers'produce from the farmer or a trader of another State and such farmers' produce is transported to a State other than the State in which the trader purchased such farmers' produce or where such farmers' produce originated;

(*f*) "intra-State trade" means the act of buying or selling of farmers' produce, wherein a trader of one State buys the farmers' produce from a farmer or a trader of the same State in which the trader purchased such farmers' produce or where such farmers' produce originated;

(*g*) "notification" means a notification published by the Central Government or the State Governments in the Official Gazette and the expressions "notify" and "notified" shall be construed accordingly;

(*h*) "person" includes—

(*a*) an individual;

(*b*) a partnership firm;

(*c*) a company;

(*d*) a limited liability partnership;

(*e*) a co-operative society;

(*f*) a society; or

(*g*) any association or body of persons duly incorporated or recognised as a group under any ongoing programmes of the Central Government or the State Government;

(*i*) "prescribed" means prescribed by the rules made by the Central Government under this Act;

(*j*) "scheduled farmers' produce" means the agricultural produce specified under any State APMC Act for regulation;

(*k*) "State" includes the Union territory;

(*l*) "State APMC Act" means any State legislation or Union territory legislation in force in India, by whatever name called, which regulates markets for agricultural produce in that State;

(*m*) "trade area" means any area or location, place of production, collection and aggregation including—

(*a*) farm gates;

(*b*) factory premises;

(*c*) warehouses;

(*d*) silos;

(*e*) cold storages; or

(*f*) any other structures or places,

from where trade of farmers' produce may be undertaken in the territory of India but does not include the premises, enclosures and structures constituting—

(*i*) physical boundaries of principal market yards, sub-market yards and market sub-yards managed and run by the market committees formed under each State APMC Act in force in India; and

(*ii*) private market yards, private market sub-yards, direct marketing collection centres, and private farmer-consumer market yards managed by persons holding licenses or any warehouses, silos, cold storages or other structures notified as markets or deemed markets under each State APMC Act in force in India;

(*n*) "trader" means a person who buys farmers' produce by way of inter-State trade or intra-State trade or a combination thereof, either for self or on behalf of one or more persons for the purpose of wholesale trade, retail, end-use, value addition, processing, manufacturing, export, consumption or for such other purpose.

CHAPTER II

PROMOTION AND FACILITATION OF TRADE AND COMMERCE OF FARMERS' PRODUCE

Freedom to conduct trade and commerce in a trade area.

3. Subject to the provisions of this Act, any farmer or trader or electronic trading and transaction platform shall have the freedom to carry on the inter-State or intra-State trade and commerce in farmers' produce in a trade area.

Trade and commerce of scheduled farmers' produce.

4. (*1*) Any trader may engage in the inter-State trade or intra-State trade of scheduled farmers' produce with a farmer or another trader in a trade area:

Provided that no trader, except the farmer producer organisations or agricultural co-operative society, shall trade in any scheduled farmers' produce unless such a trader has a permanent account number allotted under the Income-tax Act, 1961 or such other document as may be notified by the Central Government.

43 of 1961.

(*2*) The Central Government may, if it is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do, prescribe a system for electronic registration for a trader, modalities of trade transaction and mode of payment of the scheduled farmers' produce in a trade area.

(*3*) Every trader who transacts with farmers shall make payment for the traded scheduled farmers' produce on the same day or within the maximum three working days if procedurally so required subject to the condition that the receipt of delivery mentioning the due payment amount shall be given to the farmer on the same day:

Provided that the Central Government may prescribe a different procedure of payment by farmer produce organisation or agriculture co-operative society, by whatever name called, linked with the receipt of payment from the buyers.

Electronic trading and transaction platform.

5. (*1*) Any person (other than individual), having a permanent account number allotted under the Income-tax Act, 1961or such other document as may be notified by the Central Government or any farmer producer organisation or agricultural co-operative society may establish and operate an electronic trading and transaction platform for facilitating inter-State or intra-State trade and commerce of scheduled farmers' produce in a trade area: 43 of 1961.

Provided that the person establishing and operating an electronic trading and transaction platform shall prepare and implement the guidelines for fair trade practices such as mode of trading, fees, technical parameters including inter-operability with other platforms, logistics arrangments, quality assessment, timely payment, dissemination of guidelines in local language of the place of operation of the platform and such other matters.

(*2*) If the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest so to do, it may, for electronic trading platforms, by rules—

(*a*) specify the procedure, norms, manner of registration; and

(*b*) specify the code of conduct, technical parameters including inter-operability with other platform and modalities of trade transaction including logistics arrangements and quality assessment of scheduled farmers' produce and mode of payment,

for facilitating fair inter-State and intra-State trade and commerce of scheduled farmers' produce in a trade area.

Market fee under State APMC Act, etc., in trade area.

6. No market fee or cess or levy, by whatever name called, under any State APMC Act or any other State law, shall be levied on any farmer or trader or electronic trading and transaction platform for trade and commerce in scheduled farmers' produce in a trade area.

Price Information and Market Intelligence System.

7. (*1*) The Central Government may, through any Central Government Organisation, develop a Price Information and Market Intelligence System for farmers' produce and a framework for dissemination of information relating thereto.

(*2*) The Central Government may require any person owning and operating an electronic trading and transaction platform to provide information regarding such transactions as may be prescribed.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "Central Government Organisation" includes any subordinate or attached office, Government owned or promoted company or society.

CHAPTER III

DISPUTE RESOLUTION

Dispute Resolution Mechanism for farmers.

8. (*1*) In case of any dispute arising out of a transaction between the farmer and a trader under section 4, the parties may seek a mutually acceptable solution through conciliation by filing an application to the Sub-Divisional Magistrate who shall refer such dispute to a Conciliation Board to be appointed by him for facilitating the binding settlement of the dispute.

(*2*) Every Board of Conciliation appointed by the Sub-Divisional Magistrate under sub-section (*1*), shall consist of a chairperson and such members not less than two and not more than four, as the Sub-Divisional Magistrate may deem fit.

(*3*) The chairperson shall be an officer serving under the supervision and control of the Sub-Divisional Magistrate and the other members shall be persons appointed in equal numbers to represent the parties to the dispute and any person appointed to represent a party shall be appointed on the recommendation of that party:

Provided that, if any party fails to make such recommendation within seven days, the Sub-Divisional Magistrate shall appoint such persons as he thinks fit to represent that party.

(*4*) Where, in respect of any dispute, a settlement is arrived at during the course of conciliation proceedings, a memorandum of settlement shall be drawn accordingly and signed by the parties to such dispute which shall be binding upon the parties.

(*5*) If the parties to the transaction under sub-section (*1*) are unable to resolve the dispute within thirty days in the manner set out under this section, they may approach the Sub-Divisional Magistrate concerned who shall be the "Sub-Divisional Authority" for settlement of such dispute.

(*6*) The Sub-Divisional Authority on its own motion or on a petition or on the reference from any Government agency take cognizance of any contravention of the provisions of section 4 or rules made thereunder and take action under sub-section (*7*).

(*7*) The Sub-Divisional Authority shall decide the dispute or contravention under this section in a summary manner within thirty days from the date of its filing and after giving the parties an opportunity of being heard, he may—

(*a*) pass an order for the recovery of the amount under dispute; or

(*b*) impose a penalty as stipulated in sub-section (*1*) of section 11; or

(*c*) pass an order for restraining the trader in dispute from undertaking any trade and commerce of scheduled farmers' produce, directly or indirectly under this Act for such period as it may deem fit.

(*8*) Any party aggrieved by the order of the Sub-Divisional Authority may prefer an appeal before the Appellate Authority (Collector or Additional Collector nominated by the Collector) within thirty days of such order who shall dispose of the appeal within thirty days from the date of filing of such appeal.

(*9*) Every order of the Sub-Divisional Authority or Appellate Authority under this section shall have force of the decree of a civil court and shall be enforceable as such, and decretal amount shall be recovered as arrears of land revenue.

(*10*) The manner and procedure for filing a petition or an application before the Sub-Divisional Authority and appeal before the appellate authority shall be such as may be prescribed.

Suspension or cancellation of right to operate in electronic trading and transaction platform.

9. (*1*) The Agriculture Marketing Adviser, Directorate of Marketing and Inspection, Government of India or an officer of the State Government to whom such powers are delegated by the Central Government in consultation with the respective State Government may, on its own motion or on a petition or on the reference from any Government Agency, take cognizance of any breach of the procedures, norms, manner of registration and code of conduct or any breach of the guidelines for fair trade practices by the electronic trading and transaction platform established under section 5 or contravenes the provisions of section 7 and, by an order within sixty days from the date of receipt and for the reasons to be recorded, he may—

(*a*) pass an order for the recovery of the amount payable to the farmers and traders;

(*b*) impose a penalty as stipulated in sub-section (*2*) of section 11; or

(*c*) suspend for such period as he deems fit or cancel the right to operate as an electronic trading and transaction platform:

Provided that no order for recovery of amount, imposition of penalty or suspension or cancellation of the right to operate shall be passed without giving the operator of such electronic trading and transaction platform an opportunity of being heard.

(*2*) Every order made under sub-section (*1*) shall have force of the decree of a civil court and shall be enforceable as such and the decretal amount shall be recovered as arrears of land revenue.

Appeal against cancellation of right to operate.

10. (*1*) Any person aggrieved by an order under section 9 may, prefer an appeal within sixty days from the date of such order, to an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government for this purpose:

Provided that an appeal may be admitted even after the expiry of the said period of sixty days, but not beyond a total period of ninety days, if the appellant satisfies the appellate authority, that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the said period.

(*2*) Every appeal made under this section shall be made in such form and manner, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against and by such fees as may be prescribed.

(*3*) The procedure for disposing of an appeal shall be such as may be prescribed.

(*4*) An appeal filed under this section shall be heard and disposed of within a period of ninety days from the date of its filing:

Provided that before disposing of an appeal, the appellant shall be given an opportunity of being heard.

CHAPTER IV

PENALTIES

Penalty for contravention of Act and rules.

11. (*1*) Whoever contravenes the provisions of section 4 or the rules made thereunder shall be liable to pay a penalty which shall not be less than twenty-five thousand rupees but which may extend up to five lakh rupees, and where the contravention is a continuing one, further penalty not exceeding five thousand rupees for each day after the first day during which the contravention continues.

(*2*) If any person, who owns, controls or operates an electronic trading and transaction platform, contravenes the provisions of sections 5 and 7 or the rules made thereunder shall be liable to pay a penalty which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend up to ten lakh rupees, and where the contravention is a continuing one, further penalty not exceeding ten thousand rupees for each day after the first day during which the contravention continues.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

Powers of Central Government to issue instructions, directions, orders or guidelines.

12. The Central Government may, for carrying out the provisions of this Act, give such instructions, directions, orders or issue guidelines as it may deem necessary to any authority or officer subordinate to the Central Government, any State Government or any authority or officer subordinate to a State Government, an electronic trading and transaction platform or to any person or persons owning or operating an electronic trading and transaction platform, or a trader or class of traders.

Protection of action taken in good faith.

13. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Central Government or the State Government, or any officer of the Central Government or the State Government or any other person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or of any rules or orders made thereunder.

Act to have overriding effect.

14. The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any State APMC Act or any other law for time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law for the time being in force.

Bar of jurisdiction of civil court.

15. No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any matter, the cognizance of which can be taken and disposed of by any authority empowered by or under this Act or the rules made thereunder.

Act not to apply to certain transactions.

42 of 1956.

16. Nothing contained in this Act, shall be applicable to the Stock Exchanges and Clearing Corporations recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the transactions made thereunder.

Power of Central Government to make rules.

17. (*1*) The Central Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(*2*) In particular and without prejudice to the generality of the forgoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(*a*) the system of electronic registration for a trader and modalities of trade transaction of scheduled farmers' produce under sub-section (*2*) of section 4;

(*b*) the procedure of payment under proviso to sub-section (*3*) of section 4;

(*c*) the manner and procedure for filing a petition or an application before the Sub-Divisional Authority and appeal before the appellate authority under sub-section (*10*) of section 8;

(*d*) the information regarding transactions under sub-section (*2*) of section 9;

(*e*) the form and manner and the fee payable for filing an appeal under sub-section (*2*) of section 10;

(*f*) the procedure for disposing of an appeal under sub-section (*3*) of section 10;

(*g*) any other matter which is to be or may be prescribed.

Laying of rules.

18. Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Power to remove difficulties.

19. (*1*) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of the period of three years from the date of commencement of this Act.

(*2*) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

Repeal and savings.

Ord. 10 of 2020.

20. (*1*) The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(*2*) Notwithstanding such repeal, anything done or any action under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

MGIPMRND—858GI—27-09-2020.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—20 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—20

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092020-222040
CG-DL-E-27092020-222040

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 45] नई दिल्ली, रविवार, सितम्बर 27, 2020/ आश्विन 5, 1942 (शक)
No. 45] NEW DELHI, SUNDAY, SEPTEMBER 27, 2020/ASVINA 5, 1942 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 27*th September,* 2020/*Asvina* 5, 1942 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 24th September, 2020 and is hereby published for general information:—

THE FARMERS (EMPOWERMENT AND PROTECTION) AGREEMENT ON PRICE ASSURANCE AND FARM SERVICES ACT, 2020

No. 20 OF 2020

[24*th September,* 2020.]

An Act to provide for a national framework on farming agreements that protects and empowers farmers to engage with agri-business firms, processors, wholesalers, exporters or large retailers for farm services and sale of future farming produce at a mutually agreed remunerative price framework in a fair and transparent manner and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. (*1*) This Act may be called the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020. Short title and commencement.

(*2*) It shall be deemed to have come into force on the 5th June, 2020.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "APMC yard" means the physical premises covering Agriculture Produce Market Committee Yard, by whatever name called, established for regulating markets and trade in farming produce under any State Act;

(*b*) "company" means a company as defined in clause (*20*) of section 2 of the Companies Act, 2013; 18 of 2013.

(*c*) "electronic trading and transaction platform" means a platform set up to facilitate direct and online buying and selling for conduct of trade and commerce of farming produce through a network of electronic devices and internet applications;

(*d*) "farm services" includes supply of seed, feed, fodder, agro-chemicals, machinery and technology, advice, non-chemical agro-inputs and such other inputs for farming;

(*e*) "farmer" means an individual engaged in the production of farming produce by self or by hired labour or otherwise, and includes the Farmer Producer Organisation;

(*f*) "Farmer Producer Organisation" means an association or group of farmers, by whatever name called,—

(*i*) registered under any law for the time being in force; or

(*ii*) promoted under a scheme or programme sponsored by the Central Government or the State Government;

(*g*) "farming agreement" means a written agreement entered into between a farmer and a Sponsor, or a farmer, a Sponsor and any third party, prior to the production or rearing of any farming produce of a predetermined quality, in which the Sponsor agrees to purchase such farming produce from the farmer and to provide farm services.

Explanation.—For the purposes of this clause, the term "farming agreement" may include—

(*i*) "trade and commerce agreement", where the ownership of commodity remains with the farmer during production and he gets the price of produce on its delivery as per the agreed terms with the Sponsor;

(*ii*) "production agreement", where the Sponsor agrees to provide farm services, either fully or partially and to bear the risk of output, but agrees to make payment to the farmer for the services rendered by such farmer; and

(*iii*) such other agreements or a combination of agreements specified above;

(*h*) "farming produce" includes—

(*i*) foodstuffs, including edible oilseeds and oils, all kinds of cereals like wheat, rice or other coarse grains, pulses, vegetables, fruits, nuts, spices, sugarcane and products of poultry, piggery, goatery, fishery and dairy, intended for human consumption in its natural or processed form;

(*ii*) cattle fodder, including oilcakes and other concentrates;

(*iii*) raw cotton, whether ginned or unginned;

(*iv*) cotton seeds and raw jute;

(*i*) "firm" means a firm as defined in section 4 of the Indian Partnership Act, 1932; 9 of 1932.

(*j*) "force majeure" means any unforeseen external event, including flood, drought, bad weather, earthquake, epidemic outbreak of disease, insect-pests and such other events, which is unavoidable and beyond the control of parties entering into a farming agreement;

(*k*) "notification" means a notification published by the Central Government or the State Government, as the case may be, in the Official Gazette and the expression "notified" shall be construed accordingly;

(*l*) "person" includes—

(*i*) an individual;

(*ii*) a partnership firm;

(*iii*) a company;

(*iv*) a limited liability partnership;

(*v*) a co-operative society;

(*vi*) a society; or

(*vii*) any association or body of persons duly incorporated or recognised as a group under any ongoing programmes of the Central Government or the State Government;

(*m*) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(*n*) "Registration Authority" means an authority notified as such by the State Government under section 12;

(*o*) "Sponsor" means a person who has entered into a farming agreement with the farmer to purchase a farming produce;

(*p*) "State" includes Union territory.

CHAPTER II

FARMING AGREEMENT

Farming agreement and its period.

3. (*1*) A farmer may enter into a written farming agreement in respect of any farming produce and such agreement may provide for—

(*a*) the terms and conditions for supply of such produce, including the time of supply, quality, grade, standards, price and such other matters; and

(*b*) the terms related to supply of farm services:

Provided that the responsibility for compliance of any legal requirement for providing such farm services shall be with the Sponsor or the farm service provider, as the case may be.

(*2*) No farming agreement shall be entered into by a farmer under this section in derogation of any rights of a share cropper.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the term "share cropper" means a tiller or occupier of a farm land who formally or informally agrees to give fixed share of crop or to pay fixed amount to the land owner for growing or rearing of farming produce.

(*3*) The minimum period of the farming agreement shall be for one crop season or one production cycle of livestock, as the case may be, and the maximum period shall be five years:

Provided that where the production cycle of any farming produce is longer and may go beyond five years, in such case, the maximum period of farming agreement may be mutually decided by the farmer and the Sponsor and explicitly mentioned in the farming agreement.

(*4*) For the purposes of facilitating farmers to enter into written farming agreements, the Central Government may issue necessary guidelines along with model farming agreements, in such manner, as it deems fit.

Quality, grade and standards of farming produce.

4. (*1*) The parties entering into a farming agreement may identify and require as a condition for the performance of such agreement compliance with mutually acceptable quality, grade and standards of a farming produce.

(*2*) For the purposes of sub-section (*1*), the parties may adopt the quality, grade and standards—

(*a*) which are compatible with agronomic practices, agro-climate and such other factors; or

(*b*) formulated by any agency of the Central Government or the State Government, or any agency authorised by such Government for this purpose,

and explicitly mention such quality, grade and standards in the farming agreement.

(*3*) The quality, grade and standards for pesticide residue, food safety standards, good farming practices and labour and social development standards may also be adopted in the farming agreement.

(*4*) The parties entering into a farming agreement may require as a condition that such mutually acceptable quality, grade and standards shall be monitored and certified during the process of cultivation or rearing, or at the time of delivery, by third party qualified assayers to ensure impartiality and fairness.

Pricing of farming produce.

5. The price to be paid for the purchase of a farming produce may be determined and mentioned in the farming agreement itself, and in case, such price is subject to variation, then, such agreement shall explicitly provide for—

(*a*) a guaranteed price to be paid for such produce;

(*b*) a clear price reference for any additional amount over and above the guaranteed price, including bonus or premium, to ensure best value to the farmer and such price reference may be linked to the prevailing prices in specified APMC yard or electronic trading and transaction platform or any other suitable benchmark prices:

Provided that the method of determining such price or guaranteed price or additional amount shall be annexed to the farming agreement.

Sale or purchase of farming produce.

6. (*1*) Where, under a farming agreement, the delivery of any farming produce is to be—

(*a*) taken by the Sponsor at the farm gate, he shall take such delivery within the agreed time;

(*b*) effected by the farmer, it shall be the responsibility of the Sponsor to ensure that all preparations for the timely acceptance of such delivery have been made.

(*2*) The Sponsor may, before accepting the delivery of any farming produce, inspect the quality or any other feature of such produce as specified in the farming agreement, otherwise, he shall be deemed to have inspected the produce and shall have no right to retract from acceptance of such produce at the time of its delivery or thereafter.

(*3*) The Sponsor shall,—

(*a*) where the farming agreement relates to seed production, make payment of not less than two-third of agreed amount at the time of delivery and the remaining amount after due certification, but not later than thirty days of delivery;

(*b*) in other cases, make payment of agreed amount at the time of accepting the delivery of farming produce and issue a receipt slip with details of the sale proceeds.

(*4*) The State Government may prescribe the mode and manner in which payment shall be made to the farmer under sub-section (*3*).

Exemptions with respect to farming produce.

7. (*1*) Where a farming agreement has been entered into in respect of any farming produce under this Act, such produce shall be exempt from the application of any State Act, by whatever name called, established for the purpose of regulation of sale and purchase of such farming produce.

10 of 1955.

(*2*) Notwithstanding anything contained in the Essential Commodities Act, 1955 or in any control order issued thereunder or in any other law for the time being in force, any obligation related to stock limit shall not be applicable to such quantities of farming produce as are purchased under a farming agreement entered into in accordance with the provisions of this Act.

Sponsor prohibited from acquiring ownership rights or making permanent modifications on farmer's land or premises.

8. No farming agreement shall be entered into for the purpose of—

(*a*) any transfer, including sale, lease and mortgage of the land or premises of the farmer; or

(*b*) raising any permanent structure or making any modification on the land or premises of the farmer, unless the Sponsor agrees to remove such structure or to restore the land to its original condition, at his cost, on the conclusion of the agreement or expiry of the agreement period, as the case may be:

Provided that where such structure is not removed as agreed by the Sponsor, the ownership of such structure shall vest with the farmer after conclusion of the agreement or expiry of the agreement period, as the case may be.

Linkage of farming agreement with insurance or credit.

9. A farming agreement may be linked with insurance or credit instrument under any scheme of the Central Government or the State Government or any financial service provider to ensure risk mitigation and flow of credit to farmer or Sponsor or both.

Other parties to farming agreement.

10. Save as otherwise provided in this Act, an aggregator or farm service provider may become a party to the farming agreement and in such case, the role and services of such aggregator or farm service provider shall be explicitly mentioned in such farming agreement.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(*i*) "aggregator" means any person, including a Farmer Producer Organisation, who acts as an intermediary between a farmer or a group of farmers and a Sponsor and provides aggregation related services to both farmers and Sponsor;

(*ii*) "farm service provider" means any person who provides farm services.

Alteration or termination of farming agreement.

11. At any time after entering into a farming agreement, the parties to such agreement may, with mutual consent, alter or terminate such agreement for any reasonable cause.

Establishment of Registration Authority.

12. (*1*) A State Government may notify a Registration Authority to provide for electronic registry for that State that provides facilitative framework for registration of farming agreements.

(*2*) The constitution, composition, powers and functions of the Registration Authority and the procedure for registration shall be such as may be prescribed by the State Government.

CHAPTER III

DISPUTE SETTLEMENT

Conciliation board for dispute settlement.

13. (*1*) Every farming agreement shall explicitly provide for a conciliation process and formation of a conciliation board consisting of representatives of parties to the agreement:

Provided that representation of parties in such conciliation board shall be fair and balanced.

(*2*) A dispute arising from any farming agreement shall be first referred to the conciliation board formed as per the provisions of the farming agreement and every endeavour shall be made by such board to bring about settlement of such dispute.

(*3*) Where, in respect of any dispute, a settlement is arrived during the course of conciliation proceeding, a memorandum of settlement shall be drawn accordingly and signed by the parties to such dispute and such settlement shall be binding on the parties.

Mechanism for dispute resolution.

14. (*1*) Where, the farming agreement does not provide for conciliation process as required under sub-section (*1*) of section 13, or the parties to the farming agreement fail to settle their dispute under that section within a period of thirty days, then, any such party may approach the concerned Sub-Divisional Magistrate who shall be the Sub-Divisional Authority for deciding the disputes under farming agreements.

(*2*) On receipt of a dispute under sub-section (*1*), the Sub-Divisional Authority may, if—

(*a*) the farming agreement did not provide for conciliation process, constitute a conciliation board for bringing about settlement of such dispute; or

(*b*) the parties failed to settle their dispute through conciliation process, decide the dispute in a summary manner within thirty days from the date of receipt of such dispute, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and pass an order for recovery of the amount under dispute, with such penalty and interest, as it deems fit, subject to the following conditions, namely:—

(*i*) where the Sponsor fails to make payment of the amount due to the farmer, such penalty may extend to one and half times the amount due;

(*ii*) where the order is against the farmer for recovery of the amount due to the Sponsor on account of any advance payment or cost of inputs, as per terms of farming agreement, such amount shall not exceed the actual cost incurred by the Sponsor;

(*iii*) where the farming agreement in dispute is in contravention of the provisions of this Act, or default by the farmer is due to force majeure, then, no order for recovery of amount shall be passed against the farmer.

(*3*) Every order passed by the Sub-Divisional Authority under this section shall have same force as a decree of a civil court and be enforceable in the same manner as that of a decree under the Code of Civil Procedure, 1908, unless an appeal is preferred under sub-section (*4*). 5 of 1908.

(*4*) Any party aggrieved by the order of the Sub-Divisional Authority may prefer an appeal to the Appellate Authority, which shall be presided over by the Collector or Additional Collector nominated by the Collector, within thirty days from the date of such order.

(*5*) The Appellate Authority shall dispose of the appeal within thirty days.

(*6*) Every order passed by the Appellant Authority under this section shall have same force as a decree of a civil court and be enforceable in the same manner as that of a decree under the Code of Civil Procedure, 1908. 5 of 1908.

(*7*) The amount payable under any order passed by the Sub-Divisional Authority or the Appellant Authority, as the case may be, may be recovered as arrears of land revenue.

(*8*) The Sub-Divisional Authority or the Appellate Authority shall, while deciding disputes under this section, have all the powers of a civil court for the purposes of taking evidence on oath, enforcing the attendance of witnesses, compelling the discovery and production of documents and material objects and for such other purposes as may be prescribed by the Central Government.

(*9*) The manner and procedure for filing a petition or an application before the Sub-Divisional Authority and an appeal before the Appellate Authority shall be such as may be prescribed by the Central Government.

No action for recovery of dues against farmer's land.

15. Notwithstanding anything contained in section 14, no action for recovery of any amount due in pursuance of an order passed under that section, shall be initiated against the agricultural land of the farmer.

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

Power of Central Government to give directions.

16. The Central Government may, from time to time, give such directions, as it may consider necessary, to the State Governments for effective implementation of the provisions of this Act and the State Governments shall comply with such directions.

Authorities under Act to be public servants.

17. All authorities, including Registration Authority, Sub-Divisional Authority and Appellate Authority, constituted or prescribed under this Act, shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. 45 of 1860.

Protection of action taken in good faith.

18. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Central Government, the State Government, the Registration Authority, the Sub-Divisional Authority, the Appellate Authority or any other person for anything which is in good faith done or intended to be done under the provisions of this Act or any rule made thereunder.

Bar of jurisdiction of civil court.

19. No civil Court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any dispute which a Sub-Divisional Authority or the Appellate Authority is empowered by or under this Act to decide and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act or any rules made thereunder.

Act to have an overriding effect.

20. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any State law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any such law other than this Act:

Provided that a farming agreement or such contract entered into under any State law for the time being in force, or any rules made thereunder, before the date of coming into force of this Act, shall continue to be valid for the period of such agreement or contract.

Act not to apply to stock exchanges and clearing corporations.

21. Nothing contained in this Act shall be applicable to the stock exchanges and clearing corporations recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the transactions undertaken therein. 42 of 1956.

Power of Central Government to make rules.

22. (*1*) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(*2*) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(*a*) other purposes for which the Sub-Divisional Authority or the Appellate Authority shall have the powers of civil court under sub-section (*8*) of section 14;

(*b*) the manner and procedure for filing petition or application before the Sub-Divisional Authority, and an appeal before the Appellate Authority, under sub-section (*9*) of section 14;

(*c*) any other matter which is to be, or may be, prescribed, or in respect of which provision is to be made, by rules, by the Central Government.

(*3*) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total

period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Power of State Government to make rules.

23. (*1*) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(*2*) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(*a*) the mode and manner of payment to the farmer under sub-section (*4*) of section 6;

(*b*) the constitution, composition, powers and functions of the Registration Authority, and the procedure for registration under sub-section (*2*) of section 12;

(*c*) any other matter which is to be, or may be, prescribed, or in respect of which provision is to be made, by rules, by the State Government.

(*3*) Every rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature where it consists of two Houses, or where such Legislature consists of one House, before that House.

Power to remove difficulties.

24. (*1*) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the difficulty.

(*2*) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

Repeal and savings.

25. (*1*) The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 is hereby repealed. Ord. 11 of 2020.

(*2*) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act. Ord. 11 of 2020.

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

MGIPMRND—857GI—27-09-2020.